धींधवाल पब्लिकेशन DHP-14

तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा

III ग्रेड Volume- IV

Dhindhwal Publication

द्वितीय संस्करण

राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक परिदृश्य

7 संभाग व 41 जिलों के अनुसार

- नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था
- नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार
- फ्लैगशिप व अन्य योजनाएँ

Level-I के लिए 80 अंक

Level-II के लिए 50 अंक हेतु उपयोगी

होशियार सिंह
उप-निरीक्षक, राज. पुलिस

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

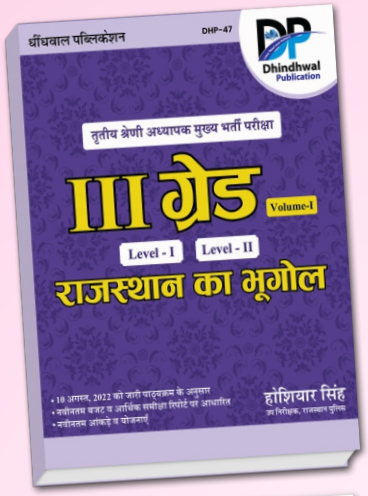

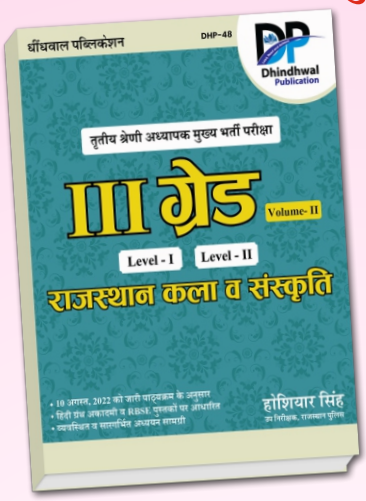

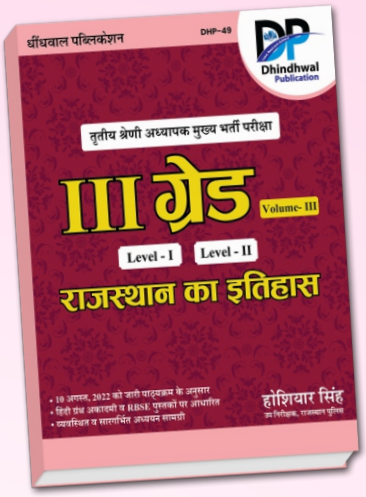

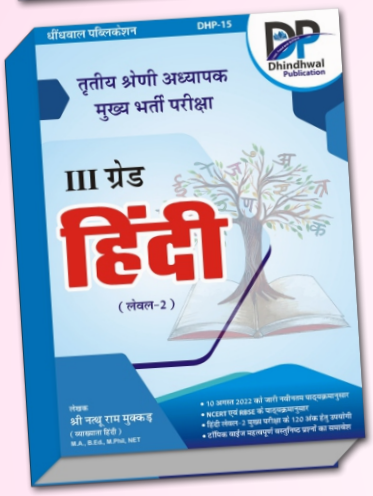

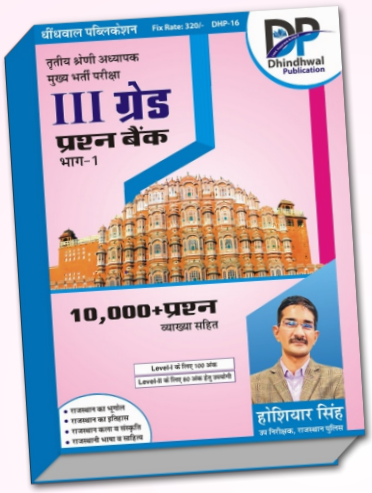

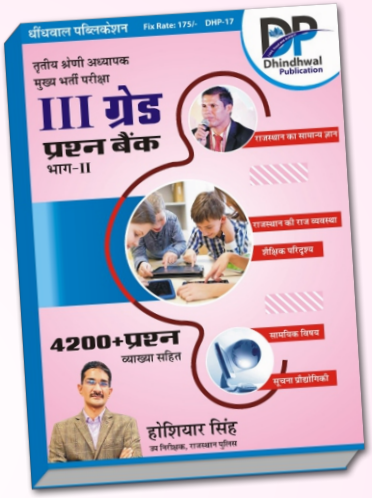

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

जुड़िए पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल से

@DHINDHWAL2023GK

- नि:शुल्क मार्गदर्शन
- नि:शुल्क टेस्ट सीरीज (पीडीएफ फॉर्मेट में)
- विज्ञप्ति सिलेबस व परिणाम संबंधी जानकारी
- डाउट क्लियर करने के लिए पब्लिकेशन के लेखकों से सीधा संवाद
- भूगोल जैसे विषय के अद्यतन आँकड़े

टेलीग्राम में जाकर धींधवाल पब्लिकेशन/Dhindhwal Publication सर्च करके इसे जोइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्राप्त करने के लिए 8306733800 पर वाट्सअप मैसेज करें।

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

होशियार सिंह

उप निरीक्षक, राज. पुलिस

: लेखक परिचय :

होशियार सिंह का जन्म ग्राम रतनपुरा तहसील राजगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) में हुआ। आपने स्नातक करने के दौरान ही वर्ष 2003 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आरम्भ की, राजस्थान पुलिस (जिला बीकानेर वर्ष 2008) में कानिस्टेबल के पद पर चयन के साथ ही 2008 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयन हुआ। आपने 5 वर्ष तक जिला राजसमंद में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् द्वितीय श्रेणी शिक्षक (हिन्दी) 2013 में चयन होने पर आपने राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कतरियासर (बीकानेर) में अपनी सेवाएँ दी, तत्पश्चात् राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक 2014 में चयन हुआ, वर्तमान में आप राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक हैं, आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अध्यापन व मार्गदर्शन का गहन अनुभव है।

लेखक की अन्य पुस्तकें

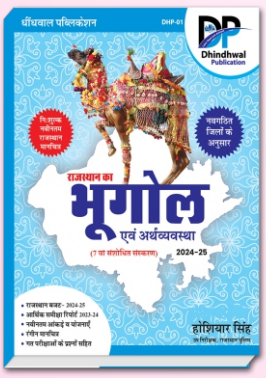

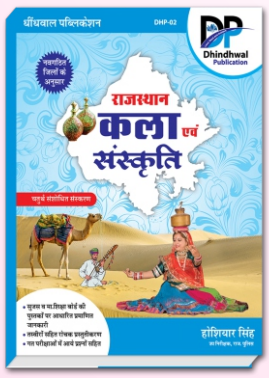

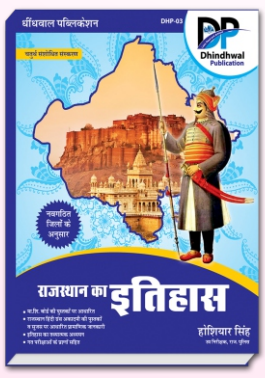

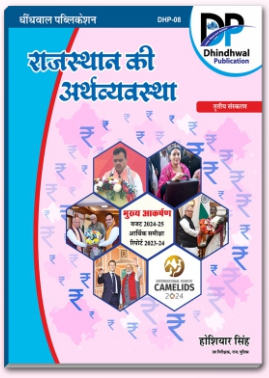

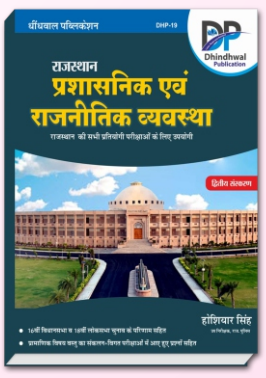

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

प्रस्तुत करते हैं-

Dhindhwal Publication

तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा

राजस्थान का सामान्य ज्ञान व शैक्षिक परिदृश्य

लेवल 1 व लेवल 2 के लिए

- 7 संभाग व 41 जिलों के अनुसार तैयार की गई पुस्तक।
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था।
- शैक्षिक परिदृश्य व RTE का सरल एवं रोचक प्रस्तुतीकरण।
- नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार तैयार की गई पुस्तक।
- विगत परीक्षाओं में आये हुए 300 से अधिक प्रश्नों का संकलन।

राजस्थान के प्रतीक चिह्न, प्रमुख अनुसंधान केन्द्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर, उद्योग व राजस्थान की फ्लैगशिप व जन कल्याणकारी योजनाओं की अध्यायवार अध्ययन सामग्री का संकलन इस पुस्तक में किया गया है।

धींधवाल पब्लिकेशन
B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर
मो.- 8306733800

लेखक :- होशियार सिंह
(उप निरीक्षक, राजस्थान पुलिस)

प्रकाशक:-

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो.- 8306733800

- Dhindhwal Publication
- धींधवाल पब्लिकेशन
- Dhindhwal Classes
- @Publication-DP
- Dhindhwal Publication

बुक कोड- DHP-14

© सर्वाधिकार- लेखक

फिक्स रेट- 215.00

मुद्रक-

पिंकसिटी ऑफसेट, जयपुर

इस पुस्तक के किसी भी अंश का लेखक तथा प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना मुद्रित करना, कराना तथा इस पुस्तक की व इसके किसी भाग की फोटोकॉपी, स्केनिंग, इलेक्ट्रोस्टेट, मशीनी टंकण अथवा किसी भी तरीके से पुन: उपयोग करना, पी.डी.एफ बनाकर वाट्सअप या टेलीग्राम आदि पर प्रसारित करना पूर्णत: वर्जित है।

इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है पुस्तक में दिये गये तथ्य व विवरण उचित व विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, फिर भी इसमें किसी प्रकार की त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप रह जाना संभव है। अत: ऐसी किसी भी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप के कारण हुई क्षति अथवा क्लेश के लिए लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक, विक्रेता व कर्मचारीगण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आप उपर्युक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पुस्तक खरीद रहे हैं अत: दायित्व आपका स्वयं का होगा। सभी प्रकार के परिवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

विषय–सूची

क्र.सं.	विषय–सूची	पृष्ठ संख्या
	भाग– 1 (राजस्थान का सामान्य ज्ञान)	
1	राजस्थान के प्रतीक चिह्न	02–06
2	राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र	07–09
3	राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल	10–26
4	राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल	27–34
5	राजस्थान के प्रमुख उद्योग	35–48
6	राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ	49–65
7	राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी	66–80
	भाग– 2 (राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था)	
1	राज्यपाल	2–13
2	मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्	14–22
3	राज्य विधानमण्डल	23–38
	राजस्थान विधानसभा की समितियाँ	39–40
	संसद में राजस्थान	41–42
4	उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	43–52
5	राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव	53–58
6	संभाग व जिला प्रशासन व्यवस्था	59–62
7	पंचायती राज व नगरीय स्वशासन	63–81
8	राजस्थान के प्रमुख आयोग	82–97
	भाग– 3 (शैक्षिक परिदृश्य)	
1	शिक्षण अधिगम के नवाचार	2–30
2	विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ एवं पुरस्कार	31–41
3	विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ	42–48
4	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में	49–54
5	नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 : प्रावधान एवं क्रियान्विति	55–63
6	राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011	64–70
7	राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश	71–73
8	विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न	74–91

नोट्स के लिए स्थान

1 राजस्थान के प्रतीक चिह्न

- राजस्थान की राजधानी– **जयपुर**
- राजस्थान दिवस– **30 मार्च**
- राजस्थान का राज्य पशु– **चिंकारा व ऊँट**
- राजस्थान का राज्य पक्षी– **गोडावण**
- राजस्थान का राज्य वृक्ष– **खेजड़ी**
- राजस्थान का राज्य पुष्प– **रोहिड़ा**
- राजस्थान का राज्य वाद्ययंत्र– **अलगोजा**
- राजस्थान का राज्य गीत– **केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश**
- राजस्थान का राज्य नृत्य– **घूमर**
- राजस्थान का राज्य खेल– **बास्केटबॉल** **(REET II - (उर्दू) 2023)** (मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया) **(स्रोत– राज. सुजस दिसम्बर 2021)**

खेजड़ी

- खेजड़ी का वानस्पतिक नाम– **प्रोसोपिस सिनेरेरिया** (**Prosopis Cinereria**)
- **उपनाम–** राजस्थान का गौरव, शमी वृक्ष (पौराणिक ग्रन्थों में), जांटी, सीमलो (राजस्थानी में), **राजस्थान का कल्पवृक्ष** / थार का कल्पवृक्ष
- सिन्धी में **छोकड़ा**, पंजाबी व हरियाणवी में **जांटी** कहा जाता है।
- सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र– **शेखावाटी**
- खेजड़ी के फूल– नीमझर / **मींझर**
- पत्तियाँ– **लूम / लूंग** ✦ हरा फल– **सांगरी**
- सूखा फल– **खोखा** (**ग्रीष्म ऋतु** में लगते हैं)
- खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाने वाला कीड़ा– **सेलेस्ट्रना** कवक– **गाइकोट्रमा**
- खेजड़ी की पूजा **दशहरे पर** होती है। खेजड़ी का पूजन **शीतला माता के प्रतीक** के रूप में भी किया जाता है।
- लोकदेवता **गोगाजी, केसरिया कुंवर** व **झुंझार जी का थान** खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है।
- खेजड़ी **परमार व तोमर वंश** का आराध्य वृक्ष है।
- **राज्य वृक्ष का दर्जा**– खेजड़ी को **31 अक्टूबर, 1983** को **राजस्थान का राज्यवृक्ष** घोषित किया गया था।
- पश्चिमी राज्य के लगभग 2/3 भाग पर खेजड़ी पायी जाती है।
- 5 जून, 1988 को **खेजड़ी वृक्ष** पर **60 पैसे** की **डाक टिकट** जारी की गयी थी।
- **थार शोभा**– केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की एक कांटे रहित किस्म।
- **ऑपरेशन खेजड़ा**– 1991 में **खेजड़ी वृक्ष** को बचाने हेतु चलाया गया अभियान।
- खेजड़ी वृक्ष को **चिपको आंदोलन** का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। सुन्दरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में 1973 में टिहरी बाँध को लेकर चिपको आन्दोलन चलाया गया था।
- **रामासनी**– 1604 ई. में जोधपुर के **रामासनी** गाँव में दो विश्नोई महिलाओं **करमा व गोरा** ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षार्थ गाँव के चौक में बलिदान दिया था।
- **पोलावास (मेड़ता, नागौर)**– 1700 ई. में **वूंचोंजी** ने पोलास में वृक्ष रक्षार्थ अपनी गर्दन कटवा दी थी।
- **खेजड़ली गाँव (जोधपुर)**– मारवाड़ के शासक **अभयसिंह** के शासनकाल में 28 अगस्त, 1730 ई. (भाद्रपद शुक्ल दशमी) को **अमृता देवी विश्नोई** के नेतृत्त्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर जोधपुर के खेजड़ली गाँव में अपना बलिदान दिया था। इस घटना के वक्त मारवाड़ शासक के हाकिम **गिरधरदास भंडारी** थे।
  - इस आन्दोलन में अमृता देवी व उसके पति **रामो जी विश्नोई** व उसकी तीन पुत्रियाँ (आसू, भागू व रत्नी) भी शहीद हो गये थे।
- **खेजड़ली वृक्ष मेला**– यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, जो प्रतिवर्ष **भाद्रपद शुक्ल दशमी** को खेजड़ली में भरता है। **12 सितम्बर, 1978** को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था, तब से प्रतिवर्ष जोधपुर के खेजड़ली गाँव में **खेजड़ली दिवस** मनाया जाता है।
- लोक संत **जाम्भोजी** ने वृक्ष रक्षा व वन्यजीव रक्षा का संदेश दिया था–
  "सिर सांटे रूख रहे, तो भी सस्तो जाण,
  लीला रूंख नी धावणों, अनि धावै दो प्राण"
- **काकापुरी (पेड़ वाले बाबा)**– भिवाड़ी **(खैरथल–तिजारा)** के काकापुरी पेड़ों को बचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं।
- **खड़ाना (साका)**– विश्नोई सम्प्रदाय द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की परम्परा **'खड़ाना'** कहलाती है।
- **संत राजाराम**– वृक्षारोपण का संदेश देने वाले संत।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्** ने खेजड़ी को **शुष्क फलों की श्रेणी** में शामिल किया है।
- **माटो**– बीकानेर के राज्यचिह्न में खेजड़ी वृक्ष को दर्शाया गया है, इसे 'माटो' कहा जाता है।

रोहिड़ा

- वानस्पतिक नाम– **टिकोमेला अन्डूलेटा**
- **रोहिड़ा के उपनाम**– रेगिस्तान / मरुस्थल का सागवान, मरुटीक, राजस्थान की मरुशोभा
- रोहिड़ा को **31 अक्टूबर, 1983** को **'राजस्थान का राज्यपुष्प'** घोषित किया गया। रोहिड़े के फूल को जोधपुर में **'मारवाड़ टीक'** के नाम से जाना जाता है।

2 राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र

राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केन्द्र			
क्र.सं.	नाम अनुसंधान केन्द्र	स्थान	विशेष विवरण
1	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI)	जोधपुर	इसकी स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से की गई। वर्तमान में काजरी के 5 उपकेन्द्र (बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज व लद्दाख) हैं। काजरी का मुख्य कार्य राजस्थान में शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, मरूस्थल की रोकथाम, शोध व अध्ययन का कार्य करना है।
2	शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI)	जोधपुर	इसकी स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् द्वारा 30 जून, 1987 में जोधपुर में की गई। 1988 में इसका नाम 'आफरी' रखा गया। इसका मुख्य कार्य राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव (केन्द्रशासित प्रदेश) में शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में वानिकी संबंधी अनुसंधान करना है।
3	राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र	सेवर (भरतपुर) (REET L-1 2023)	इसकी स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में 20 अक्टुबर, 1993 को की गई। फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय' कर दिया गया है।
4	राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र	तबीजी (अजमेर)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 2000 में स्थापित।
5	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी (बागवानी) अनुसंधान केन्द्र(NRCAH)	बीछवाल (बीकानेर)	स्थापना– 1993 में
6	खजूर अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर	स्थापना– 1978 में
7	बेर अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर	
8	राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केन्द्र (REET L-2 (SST) 2023)	जोड़बीड़ (बीकानेर)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 'ऊष्ट्र परियोजना निदेशालय' की स्थापना 5 जुलाई, 1984 को बीकानेर में की थी। जिसे 20 सितम्बर, 1995 को क्रमोन्नत कर 'राष्ट्रीय ऊष्ट्र अनुसंधान केन्द्र' नाम दिया गया।
9	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	जोड़बीड़ (बीकानेर)	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र का मुख्यालय हिसार (हरियाणा) में है, लेकिन इसका एक परिसर जोड़बीड़ (बीकानेर) में स्थित है। 1989 में बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र के इस उप परिसर की स्थापना की गई।
10	कपास सुधार परियोजना केन्द्र	गंगानगर	स्थापना– 1967
11	केन्द्रीय कृषि फार्म	सूरतगढ़ (गंगानगर)	15 अगस्त, 1956 को रूस की सहायता से स्थापना। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। (REET L-1 2023)
12	केन्द्रीय कृषि फार्म	जैतसर (गंगानगर)	1962 में कनाडा की सहायता से स्थापना।
13	पश्चिम क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र	अविकानगर (टोंक)	
14	भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केन्द्र	वल्लभनगर (उदयपुर)	राजुवास (बीकानेर) द्वारा संचालित है।
15	केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केन्द्र	अविकानगर (टोंक)	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 1962 में स्थापना।
16	मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र	उदयपुर	स्थापना– 1958
17	बाजरा अनुसंधान केन्द्र	गुढ़ामालानी (बाड़मेर)	27 सितम्बर, 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शिलान्यास

3 राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल

✦ राजस्थान में मंदिर निर्माण की शैलियाँ–

- भारत में मंदिर निर्माण की 3 **प्रमुख शैलियाँ** प्रचलित रही हैं। जो निम्न प्रकार हैं–

1. **नागर शैली** – यह **उत्तरी भारत की शैली** है, जिसमें मंदिर एक ऊँचे चबूतरे पर बना होता है जिसे **'जगती'** कहते हैं। मंदिर का शिखर **अमालक** और **कलश** में विभेदित होता है। मंदिर में मूर्ति वाला स्थान **गर्भगृह 'वर्गाकार'** होता है। अन्य विशेषताएँ– कलश, अमालक, शिखर, अर्द्धमंडप, मंडप, महामंडप, जगती।

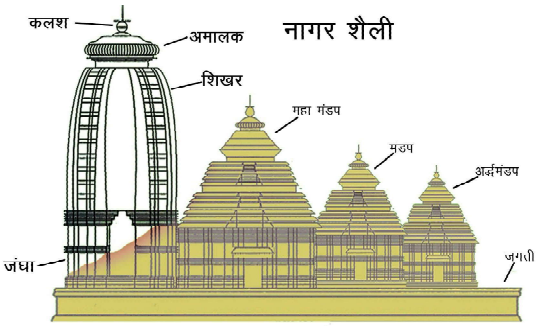

नागर शैली

- **राजस्थान में नागर शैली के उदाहरण– सोमेश्वर मंदिर** (किराडू, बाड़मेर), **अम्बिका मंदिर** (**जगत,** उदयपुर), **दधिमाता मंदिर** (गोठ मांगलोद, नागौर), **औसियां के मंदिर** (जोधपुर)।

2. **द्रविड़ शैली**– यह दक्षिण भारत की शैली है, जिसमें देव मूर्ति वाले गर्भगृह के ऊपर **ऊँचे विमान या पिरामिड** बने होते हैं जो अलंकृत होते हैं **गर्भगृह 'आयताकार'** होता है मंदिर का मुख्य द्वार **'गोपुरम'** कहलाता है। इन मंदिरों की छतें /शिखर **'गजपृष्ठकृत'** होती हैं।
- दक्षिण भारत में द्रविड़ क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित होने के कारण मंदिर निर्माण की यह शैली **द्रविड़ शैली** कहलायी।

द्रविड़ शैली

- **राजस्थान में द्रविड़ शैली के उदाहरण – रंगनाथ मंदिर (पुष्कर, अजमेर) व तिरूपति बालाजी का मंदिर (सुजानगढ़, चुरू)**

3. **वेसर शैली/चालुक्य शैली** – नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली है। यह भारत में सर्वाधिक प्रचलित शैली है। वेसर का शाब्दिक अर्थ 'मिश्रित' होता है।
- **उदाहरण– चालुक्य मंदिर** (कर्नाटक) व **बेलूर के मंदिर**

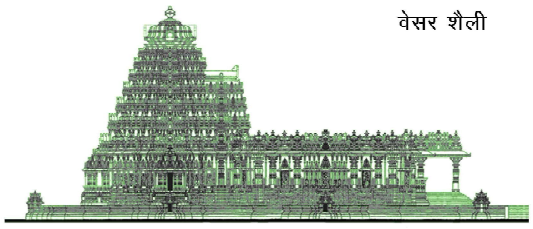
वेसर शैली

✦ अन्य शैलियाँ–

❖ **पंचायतन शैली** – इसमें मुख्य मंदिर **विष्णु को समर्पित** होता है इसके अलावा चार अन्य देव मंदिर होते हैं ये चारों मंदिर मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर होते हैं। पाँचों का परिक्रमा पथ एक ही होता था। यह नागर शैली का ही विस्तृत रूप है।
- राजस्थान में पंचायत शैली का सर्वप्रथम मंदिर **औसियां के हरिहर मंदिर** है। राजस्थान में इस शैली के उदाहरण– **भंडदेवरा शिव मंदिर** (बारां), **बूढ़ादीत सूर्य मंदिर** (कोटा), **जगदीश मंदिर** (उदयपुर), **बाड़ोली के शिव मंदिर** (बाड़ोली, चित्तौड़गढ़), **हरिहर मंदिर** (ओसियां, जोधपुर) आदि।

❖ **एकायतन शैली**– इसमें एक ही मुख्य देव का मंदिर होता है।

❖ **भूमिज शैली** – यह नागर शैली की **उपशैली** है इसमें **प्रदक्षिणा पथ छता हुआ** न होकर खुला होता है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर **सेवाड़ी जैन मंदिर** (पाली) है। राजस्थान में इस शैली के अन्य उदाहरण– **उंडेश्वर मंदिर** (बिजौलिया, भीलवाड़ा), **महानालेश्वर मंदिर** (मेनाल, चित्तौड़गढ़), **भण्डदेवरा मंदिर** (बारां)

❖ **कच्छपघात शैली**– जिन मंदिरों में विशालकाय शिखर, मेरू मण्डावर, स्तम्भों पर घटपल्लवों का अंकन, पंचशाखा हार, जिनमें से एक सर्पो द्वारा वेष्टित हुआ हो आदि से युक्त मंदिरों को **कच्छपघात शैली** का माना जाता है। **राजस्थान में इस शैली के उदाहरण– शांतिनाथ जैन मंदिर** (झालरापाटन), **पद्मनाभ मंदिर** (झालरापाटन)

✦ **सोमपुरा स्थापत्य शैली**– गुजरात के सोमपुरा **ब्राह्मण कलाकारों** द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिरों व भवनों का निर्माण किया जाता रहा है।

❖ उदयपुर सम्भाग के मंदिर

❐ उदयपुर जिला–

✦ **एकलिंगनाथ मंदिर– कैलाशपुरी (उदयपुर)**
- इस मंदिर का निर्माण **बप्पा रावल** ने 734 ई. में करवाया था। एकलिंग जी **मेवाड़ के महाराणाओं के इष्टदेव/गुहिल वंश के कुल देवता** हैं। यह पाशुपत सम्प्रदाय/लकुलिश सम्प्रदाय का मंदिर है।
- यहाँ एकलिंग जी (शिवलिंग पर चार मुख बने हैं) की काले पत्थर की चौमुखा मूर्ति स्थापित है। **महाराणा मोकल** ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसे वर्तमान स्वरूप **महाराणा रायमल** ने दिया था।

स्थापत्य कला (महामारू शैली) का उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और मंदिर भी पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया। प्रसिद्ध **चाँद बावड़ी** भी यहीं पर बनी है।

✦ मेहन्दीपुर बालाजी मंदिर - **मेहन्दीपुर (दौसा)**

- यहाँ स्थित हनुमान जी की मूर्ति पर्वत का ही अंग है। भूत प्रेत से पीड़ित लोग यहाँ आते हैं। यहाँ **चैत्र पूर्णिमा** को विशाल मेला भरता है।

❐ अलवर जिला-

✦ नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर- **अलवर**

- सरिस्का टाईगर रिजर्व में स्थित इस **गुर्जर प्रतिहारकालीन** मंदिर का निर्माण राजोरगढ़ परगना के राजा **अजयपाल** ने 1010 ई. में करवाया था, उस समय यहाँ पारानगर शहर बसा हुआ था।

✦ भर्तृहरि मंदिर - **अलवर**

- उज्जैन के **राजा भर्तृहरि** ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सरिस्का को ही अपनी तपोस्थली बनाया था। इसे **'कनफटे साधुओं का कुंभ/तीर्थस्थल'** कहा जाता है। यहाँ वर्ष में दो बार **वैशाख** और **भाद्रपद मास** की शुक्ल **सप्तमी-अष्टमी** को लक्खी मेला लगता है।

✦ पांडुपोल हनुमानजी का मंदिर - **अलवर**

- यहाँ **हनुमान जी की शयन मुद्रा में प्रतिमा** स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि अज्ञातवास में रहने के दौरान **महाबली भीम** ने पहाड़ में गदा मारकर अपना रास्ता निकाला था, तब से यह स्थान **'पांडुपोल'** के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

✦ सोमनाथ मंदिर- **भानगढ़ (अलवर)**

- **निर्माण**- आमेर नरेश मानसिंह के छोटे भाई **माधोसिंह** ने 1631 में

✦ नौगजा जैन मंदिर- **अलवर**

- इस मंदिर में जैन तीर्थंकर **पार्श्वनाथ की मूर्ति** स्थापित है, जो 27 फीट (9 गज) ऊँची प्रतिमा है।

✦ नौगावां का जैन मंदिर- **नौगाँवा (अलवर)**

- यह जैन तीर्थंकर मल्लीनाथ जी का मंदिर है।

✦ नारायणी माता- **बरवा डूँगरी (अलवर)**

- नाई जाति की कुल देवी हैं।

✦ धोलागढ़ माता- **बहतुकलां (अलवर)**

❐ कोटपूतली-बहरोड़ जिला-

✦ जिलाणी माता- **बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)**

❐ खैरथल-तिजारा जिला-

✦ तिजारा जैन मंदिर- **तिजारा (खैरथल-तिजारा)**

- यह जैन धर्म के 8वें **तीर्थंकर भगवान चन्द्रप्रभु** का मंदिर है।

✦ बाबा मोहनराम का थान- **मलिकपुर (खैरथल-तिजारा)**

❐ सीकर जिला-

✦ हर्षनाथ मंदिर- **सीकर**

- हर्षनाथ मंदिर से शाकम्भरी (सांभर) के चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय का 973 ई. का एक शिलालेख मिला है, जिससे हर्षनाथ मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है।
- 973 ई. के हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कार्य **चौहान नरेश सिंहराज** ने **961 ई.** में प्रारम्भ किया था और **विग्रहराज द्वितीय** के शासन काल में यह बनकर तैयार हुआ था।
- यह मंदिर गुर्जर प्रतिहारकालीन शैली **(महामारू शैली)** में निर्मित है।

✦ जीण माता- **रैवासा पहाड़ी (सीकर)**

- इन्हें **सीकर के चौहानों की कुलदेवी/भ्रामरी**/शेखावाटी के **मीणाओं** की कुल देवी/**शेखावाटी क्षेत्र** की लोक देवी/**मधुमक्खियों की देवी** के नाम से भी जाना जाता है।

✦ सकराय माता- **सीकर**

- **खण्डेलवालों की कुलदेवी है।**
- चैत्र व आश्विन **नवरात्रों में मेला** भरता है।

✦ खाटू श्याम मंदिर - **सीकर**

- यहाँ भगवान **कृष्ण के स्वरूप श्याम जी** का मंदिर है।
- महाबली भीम के **पौत्र बर्बरीक** (घटोत्कच का पुत्र) को भगवान श्रीकृष्ण ने वरदान में कहा कि कलियुग में तेरी श्याम नाम से पूजा होगी, यहाँ खाटुश्याम जी की शीश की पूजा होती है और **'शीश के दानी'** के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें मूर्ति की मुखाकृति **दाढ़ी मूँछ युक्त** है।

✦ सप्त गौमाता मंदिर- **रैवासा (सीकर)**

- यह राजस्थान का **पहला सप्त गौमाता मंदिर** है।

❐ झुंझुनूं जिला -

✦ लोहार्गल के मंदिर - **लोहार्गल (झुंझुनूं)**

- मालकेतु पर्वत की घाटी में कई मंदिर, बावड़ियाँ व एक **पवित्र कुण्ड (सूरज कुण्ड)** बना है। यहाँ गोगानवमी से भाद्रपद अमावस्या तक **मालखेत जी की परिक्रमा**/चौबीस कोसी परिक्रमा होती है।

✦ मनसा माता- **झुंझुनूं, चुरू**

✦ राणी सती माता- **झुंझुनूं**

- अग्रवालों की कुलदेवी हैं।
- लोकभाषा में इन्हें **'दादीजी/सती दादी'** के नाम से जाना जाता है।

✦ रघुनाथ जी का मंदिर - **खेतड़ी (झुंझुनूं)**

- इस मंदिर में **श्रीराम** व **लक्ष्मण की मूँछों वाली प्रतिमा** स्थापित है।

❖ अजमेर सम्भाग के मंदिर -

❐ अजमेर जिला-

✦ ब्रह्मा मंदिर - **पुष्कर झील किनारे (अजमेर)**

- 14वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर का निर्माण **आदि गुरु शंकराचार्य** द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप **गोकुल चंद पारीक** ने 1809 ई. में बनवाया। इसमें ब्रह्मा जी की **आदमकद चौमुखी मूर्ति** स्थापित है।
- अन्य ब्रह्मा मंदिर- **छींछ** (बाँसवाड़ा), **आसोतरा** (बालोतरा)

मुस्लिम पीर, मस्जिदें, दरगाह, मीनार एवं मकबरें

❖ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती- अजमेर

- उपनाम- **गरीब नवाज**
- जन्म- 1141-42 ई. के लगभग, **संजर शहर (सिस्तान)**
- पिता- **हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन**
- गुरु- **हजरत शेख उस्मान हारूनी**
- ये **पृथ्वीराज चौहान तृतीय** के शासन काल में **मोहम्मद गौरी** के साथ भारत आये थे और अजमेर को अपनी कार्यस्थली बनाया।
- मोहम्मद गौरी ने इन्हें **'सुल्तान-उल-हिन्द'** की उपाधि दी।
- 1214 ई. में इल्तुतमिश के समय ये **दिल्ली** चले गये थे, 1219 ई. में पुनः **अजमेर** आ गये, अंतिम सांस तक अजमेर में रहे। इनका इंतकाल 1233 ई. में अजमेर में हुआ। इनकी **कार्यस्थली अजमेर** रही है।
- भारत के सूफियों ने इन्हें **'आफताबे हिन्द'** की पदवी प्रदान की।
- ग्रन्थ- **अनीसुल अरवाह, कंजुल इसरार**
- कविताओं का ग्रन्थ- **दीवान-ए-मौइन**

'होली बायोग्राफी' (ख्वाजा साहब की जीवनी)- मिर्जा वहीउद्दीन बेग द्वारा लिखित है।

- इन्होंने राजस्थान में **चिश्ती सिलसिले** का प्रवर्तन किया।
- चिश्ती सम्प्रदाय में तीर्थ यात्रियों को **जायरिन**, उत्तराधिकारी को **वली**, शिष्य को **मुरीद**, गुरु को **मुर्शीद**, उपदेश स्थल को **जमीदखाना**, तीर्थ यात्रा को **जियारत**, निवास स्थल को **खानकाह** कहा जाता है।

➢ ख्वाजा साहब की दरगाह- अजमेर

- **मुहम्मद बिन तुगलक** ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती (प्रसिद्ध सुफी संत) की दरगाह पर आने वाला **पहला सुल्तान** था।

✦ **पक्का मजार- हरविलास शारदा** के अनुसार ख्वाजा साहब का पक्का मजार 1464 ई. में बनवाया गया। उस समय अजमेर मांडू के **सुल्तान मोहम्मद खिलजी** के अधिकार में था।

✦ **बुलंद दरवाजा-** यह दरगाह की सबसे पुरानी इमारत है। बुलंद दरवाजे का निर्माण **सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी** द्वारा करवाया गया था।

☞ **नोट-** राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा- 10 के अनुसार बुलंद दरवाजे का निर्माण **सुल्तान महमूद खिलजी** द्वारा करवाया गया था।

- जनवरी 1562 में अकबर **पुत्र प्राप्ति** के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत करने पैदल अजमेर आया था।
- दरगाह में स्थित बड़ी देग 1567 ई. में **अकबर ने** भेंट की थी। यहाँ स्थित छोटी देग **जहाँगीर ने** 1613 ई. में भेंट की थी।

✦ **अकबरी मस्जिद-** 1571 ई. में अकबर के आदेश से निर्मित है।

- बादशाह अकबर ने ही दरगाह की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए **18 गाँव भेंट** किए थे।

✦ **निजाम द्वार-** यह दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण 1912 ई. में **हैदराबाद के निजाम 'मीर उस्मान अली खान'** द्वारा करवाया गया था।

✦ **मुख्य मजार-** ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर निर्मित भवन के निर्माण का श्रेय मुख्य रूप से **मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी** को है। इस भवन का निर्माण कार्य 1537 ई. तक पूरा हुआ।

✦ **शाहजहाँनी मस्जिद** - जिसे **'जुमा मस्जिद'** भी कहते हैं, इसका निर्माण शाहजहाँ ने 1638 ई. में करवाया था।

✦ **ख्वाजा साहब का उर्स- रजब्ब माह** की पहली तारीख से 6 तारीख तक (813वां उर्स, जनवरी 2025 में) अजमेर में लगता है। यह दरगाह **साम्प्रदायिक सद्भाव का स्थल** है। यहाँ लगने वाला विश्व प्रसिद्ध उर्स पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला है।

- उर्स के दौरान बुलन्द दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की रस्म भीलवाड़ा के **गौरी परिवार** द्वारा निभाई जाती है। रज्जब माह की 9वीं तारीख को **बड़े कुल की रस्म** अदा की जाती है।

❖ अलाउद्दीन खान का मकबरा(सोलह खम्भा)- अजमेर

- 3 गुम्बजों से युक्त यह मकबरा **सोलह स्तम्भों** पर आधारित है जिसके कारण इसका नाम सोला खम्भा पड़ा। इसका निर्माण **शेख अलाउद्दीन** ने हिजरी 1070 में करवाया था।

❖ ख्वाजा फखरूद्दीन चिश्ती- सरवाड़ (अजमेर)

- (फखरूद्दीन अबुल खैर) ये मोइनुद्दीन चिश्ती के ज्येष्ठ पुत्र थे।

❖ ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती- सांभर (जयपुर)

- ये **ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती** के पौत्र थे।

❖ हाजिब शक्कर बार की दरगाह- नरहड़ (चिडावा, झुंझुनूं)

- इन्हे **बांगड़ के धनी/शक्कर बाबा पीर/नरहड़ के पीर** के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी **दरगाह नरहड़ शरीफ** के नाम से जानी जाती है।
- ये **शेख सलीम चिश्ती** के शिष्य थे। **जन्माष्टमी के दिन** इनका उर्स होता है। यह दरगाह **साम्प्रदायिक सद्भाव** का अनूठा स्थल है।
- यहाँ तीन दरवाजे **(बुलंद दरवाजा, बसंती दरवाजा, बगली दरवाजा)** बने हैं।

❖ पीर फखरूद्दीन-गलियाकोट (डूँगरपुर)

- यह **दाउदी बोहरा सम्प्रदाय** की आस्था का प्रमुख केन्द्र हैं।
- यहाँ संत **सैय्यद फखरूद्दीन** की मजार है, इसे **'मजार-ए-फखरी'** भी कहते हैं। इनका उर्स **मोहर्रम के 27वें दिन** होता है।
- तीर्थस्थल गलियाकोट **माही नदी** के किनारे स्थित है।

❖ शेख हम्मीदुदीन सवाली - नागौर

- इनकी दरगाह **नागौर** में स्थित है। इन्हें **शेख हम्मीदुद्दीन नागौरी, सुल्तान-उत-तारकीन** (त्याग का सम्राट), **संत तारकीन शाह, संन्यासियों के सुल्तान** आदि नामों से भी जाने जाते हैं। ये ख्वाजा **मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य** थे।
- इनका असली नाम **'अबू अहमद सईदी'** था।
- इन्होंने **सुवाल गाँव (नागौर)** को अपना केन्द्र बनाकर शांतिपूर्वक सूफी मत का प्रचार किया था।
- **अतारकीन का दरवाजा** - नागौर, इसका निर्माण **इल्तुतमिश** ने **1230 ई.** में ख्वाजा हम्मीदुद्दीन नागौरी की याद में करवाया था।

4 राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल

उदयपुर संभाग के नगर एवं स्थल

❖ नागदा (उदयपुर)

- नागदा मेवाड़ के **गुहिल राजवंश** की प्राचीन राजधानी थी।
- प्राचीन शिलालेखों में **नागहरिड़ा और नागद्रह** कहकर उल्लेख किया गया है। ज्ञात इतिहास के अनुसार इस नगर की स्थापना गुहिलवंशीय शासक **नागाद्वितीय** ने छठी शताब्दी ईस्वी में की थी।
- नागदा 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित **सास–बहू मंदिर** के लिए प्रसिद्ध है। **(स्रोत– राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केन्द्र, डॉ. राघवेन्द्रसिंह मनोहर)**

❖ जगत् (उदयपुर)

- जगत् **10वीं शताब्दी** में निर्मित **अम्बिका माता** के अत्यन्त सुंदर और कलात्मक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के गर्भगृह के बाहर सभामंडप में तथा उसकी बाहरी दीवारों पर सजीव एवं कलात्मक मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित है। **महिष मर्दिनी** की मूर्तियों के लगभग आठ स्वरूप **जगत् के अम्बिका मंदिर में देखे जा सकते हैं।**

❖ एकलिंग जी (उदयपुर)

- एकलिंग मेवाड़ के **गुहिल/सिसोदिया** राजवंश के कुल देवता है। मेवाड़ के महाराणा **एकलिंग** जी को राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते रहे हैं।
- लोकमान्यता है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण (734 ई.) **बप्पारावल** ने करवाया था। **महाराणा मोकल** ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसे वर्तमान स्वरूप **महाराणा रायमल** ने दिया था। एकलिंग जी, भगवान शिव को समर्पित **108 मंदिरों** का समूह है, जो एक सुदृढ़ परकोटे द्वारा संरक्षित है। मुख्य मंदिर ग्रेनाइट और सफेद मार्बल का बना है मंदिर के मुख्य **आराध्य देव** भगवान शिव की भव्य चहुँमुखी प्रतिमा जो काले संगमरमर की है, वहाँ प्रतिष्ठापित है।

❖ जावर (उदयपुर)

- जावर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का एक प्राचीन स्थान है, जो **चांदी और सीसे** की खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर अनेक जैन मन्दिर, **जावर माता** का जैन मन्दिर, शिव और विष्णु के प्राचीन मन्दिर बने है।
- मेवाड़ के यशस्वी शासक **महाराणा कुंभा** की राजकुमारी **रमाबाई** द्वारा निर्मित्त रमाकुंड नामक एक विशाल जलाशय तथा उसकी पाल पर राम स्वामी का एक भव्य विष्णु मन्दिर वहाँ आज भी विद्यमान है। मेवाड़ के महाराणा **रायमल का राजतिलक** यहीं पर हुआ था। **(स्रोत– राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केन्द्र, डॉ. राघवेन्द्रसिंह मनोहर)**

❖ ऋषभदेव (उदयपुर)

- धूलेव नामक कस्बे में **जैन तीर्थंकर ऋषभदेव** का प्राचीन और प्रसिद्ध मन्दिर अवस्थित है। यहाँ की मूर्ति पर श्रद्धालुओं द्वारा **केसर** चढाई जाती है। जिससे ऋषभदेव को **केसरियानाथ जी** भी कहते है। यह मूर्ति काले पत्थर से निर्मित्त होने के कारण आदिवासी भील इनको **कालाजी** कहते है।
- ऋषभदेव/केसरिया जी को **भगवान विष्णु के 24 अवतारों** में गिने जाने के कारण **हिन्दुओं का भी पवित्र तीर्थ स्थल** माना जाता है। देश भर के **श्वेताम्बर** और **दिगम्बर** दोनों ही पंथों के लोग बड़ी संख्या में ऋषभदेव जी की अनूकम्पा पाने इस मन्दिर में आते है। **(स्रोत– राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केन्द्र, डॉ. राघवेन्द्रसिंह मनोहर)**

❖ मेणाल/मेनाल (चित्तौड़गढ़)

- मेणाल **ऊपरमाल पठार** के पश्चिमी छोर पर स्थित एक **सुरम्य और रमणीक** स्थान है। मेणाल के मंदिरों का उत्कृष्ट और बेजोड़ स्थापत्य, **मनोरम प्राकृतिक परिवेश** बहुत **सुंदर** और आकर्षक लगता है। वैसे तो मेणाल के सभी देव मंदिर अपने अद्भुत शिल्प और सौंदर्य के कारण दर्शनीय है, परंतु यहाँ **सफेद पत्थरों** से निर्मित **महानालेश्वर या महानाल देव** मंदिर अपने अनूठे स्थापत्य और कलात्मक वैभव के कारण **सर्वाधिक** आकर्षण का **केन्द्र** एवं **सर्वश्रेष्ठ** है।
- लोकमान्यता है कि इसी मंदिर के नाम से इस स्थान का नाम **मेणाल** पड़ा। ज्ञात इतिहास के अनुसार मेणाल के इस सर्वाधिक भव्य मंदिर का निर्माण **1253 ई.** में किया गया था। चौहान राजाओं के शासनकाल में मेणाल **शैव धर्म** के **लकुलिश सम्प्रदाय** का प्रमुख केन्द्र रहा है। **(स्रोत– राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केन्द्र, डॉ. राघवेन्द्रसिंह मनोहर)**

❖ चारभुजा (गढ़बोर, राजसमंद)

- इस मंदिर के निर्माता के बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। लेकिन यहाँ से उपलब्ध शिलालेख से पता चलता है कि इस मंदिर का **जीर्णोद्धार विक्रम संवत् 1501** ईस्वी में मेवाड़ के **महाराणा कुम्भा** के शासनकाल में हुआ था।

❖ नाथद्वारा (राजसमंद)

- नाथद्वारा वैष्णव धर्म के **वल्लभ संप्रदाय** का लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध तीर्थ है। मुगल बादशाह **औरंगजेब** ने जब अपनी धर्मान्धता की नीति का अनुसरण करते हुए **मथुरा–वृंदावन** में देव मंदिरों को गिराना आरंभ किया तो वहाँ प्रतिष्ठित देव विग्रहों को खतरा

- इस मन्दिर के स्तंभों पर **घटपल्लव,** कीर्ति मुख तथा घंटियों का सुन्दर सजीव अलंकरण हुआ है। सभा मण्डप के बांयी ओर **विष्णु की 3 फीट** ऊंची भव्य मूर्ति रखी है।

❖ टोंक

- वर्तमान टोंक की स्थापना अपने समय के प्रसिद्ध **सेनानायक अमीरखाँ ने 1818 ई.** में अंग्रेजों से संधि के उपरांत की थी। अमीरखाँ एक प्रभावशाली **सेनापति** था, जिसने टोंक में पहले से निर्मित एक प्राचीन किले **भोमगढ़ का पुननिर्माण** कर वहाँ एक नया किला बनवाया जो अपने निर्माता के नाम पर **अमीरगढ़** कहलाया।
- यहाँ कोठी नातमान, घंटाघर, पहाड़ी पर बनी रसिया की छतरी (टेकरी) व अन्य पहाड़ी पर **अन्नपूर्णा माँ की छतरी** दर्शनीय है। **(स्रोत– राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केन्द्र, डॉ. राघवेन्द्रसिंह मनोहर)**

❖ दूणी (टोंक)

- दूणी एक प्राचीन और **ऐतिहासिक** स्थान है। पूर्व में जयपुर रियासत में यह कछवाहों की **गोगावत उपशाखा** का मुख्य स्थान था। दूणी में **तालाब** के किनारे बहुत–सी प्राचीन स्मारक **देवलियाँ** बनी है। दूणी तालाब के किनारे एक प्राचीन **शिव मंदिर** भी विद्यमान है। जिसका स्थापत्य **10वीं शताब्दी** के आसपास का है। एक अन्य शिलालेख में दूणी गाँव का नाम **'दुर्णपुर'** लिखा मिलता है।
- जनश्रुति है कि यह स्थान महाभारत काल में द्रोणाचार्य की तपोस्थली रहा है। **(स्रोत– राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केन्द्र, डॉ. राघवेन्द्रसिंह मनोहर)**

❖ काकोड़ एवं हाथीभाटा (टोंक)

- काकोड़ का किला एक **ऊँचे पहाड़** पर बना है। प्रातःकाल में सूर्य की किरणों से **स्वर्णिम प्रकाश** से यह **किला** और महल दमक उठते है और अपने **स्थापत्य की भव्यता** से पर्यटकों को आकर्षित करते है। काकोड़ की प्रसिद्धि उस युद्ध के कारण है जो **1759 ई.** में **जयपुर राज्य और मराठों** के बीच लड़ा गया था।
- काकोड़ से 10 किमी. दुर **हाथीभाटा** है। जहाँ एक विशाल चट्टान को तराश कर पत्थर का एक अत्यंत सुन्दर और **सजीव हाथी** बना है जिस पर **नल–दमयंती** की कथा उत्कीर्ण है।

❖ मंगलाणा (डीडवाना–कुचामन)

- मंगलाणा **डीड़वाना क्षेत्र** का एक प्रमुख प्रतिहार कला केन्द्र था। यहाँ के निवासी **देद्दुक द्वारा 8वीं शताब्दी ई.** में नीलकण्ठ महादेव मन्दिर में उमा माहेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठापित करने का अभिलेख में उल्लेख मिलता है।

❖ छोटी खाटू (डीडवाना–कुचामन)

- **डीडवाना अंचल** में स्थित **छोटी खाटू** प्रतिहार कला का एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ की अलंकृत बावड़ी और मठ में स्थापित अलंकृत मूर्त्तियां व अभिलेख युक्त स्मारक स्तम्भ उसके विगत वैभव के परिचायक है।
- छोटी खाटू से प्राप्त सबसे सुन्दर और भव्य प्रतिमा **षडानन कार्तिकेय** की नर्तन मुद्रा में है। इसमें षडभूजी कार्तिकेय अपने **वाहन मयूर** को दाना खिलाते हुए सजीव ढंग से प्रदर्शित है।

❖ लाडनूं (डीडवाना–कुचामन)

- जैन धर्म का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र और अहिंसा एवं करूणा का **आध्यात्मिक केन्द्र** माना जाने वाला लाडनूं **10वीं सदी** में बसाया गया था।
- जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक **जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय** एक प्रसिद्ध शिक्षा का केन्द्र भी है।
- लाडनूं में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में **कॉटन की साड़ियों** में बहतरीन किस्म की मानी जाती है तथा इनके **चटक रंग** और **मुलायम कपड़े** के लिए पसंद की जाती है।

(स्रोत– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कक्षा–10)

जोधपुर संभाग के नगर एवं स्थल

❖ जोधपुर

- राव जोधा द्वारा **1459 ई.** में मण्डोर से 6 मील दक्षिण में जोधपुर नामक नगर बसाया व जोधपुर को **मारवाड़** की नई राजधानी बनाया। अपनी नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए जोधपुर में **चिड़ियाटूँक पहाड़ी** पर **'मेहरानगढ़'** नामक किला बनवाया। जिसकी नीवं **13 मई, 1459 ई.** को **करणी माता** द्वारा रखी गई थी।

❖ औसियां (जोधपुर)

- मारवाड़ का यह कस्बा 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य **गुर्जर–प्रतिहारों** के शासन काल में एक प्रमुख धार्मिक एवं **व्यापारिक केन्द्र** था।
- प्राचीन कलात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध औसियां को **'राजस्थान का भुवनेश्वर'** भी कहते है। यहाँ के सूर्य मंदिर, **सचिया माता मंदिर** व **महावीर स्वामी मंदिर** का आकर्षक स्थापत्य **दर्शनीय** है।

❖ तिंवरी (जोधपुर)

- यहाँ **खोखरी माता** का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इस मंदिर का **शिखर टेढा** है। इसके अतिरिक्त यहाँ **दादा भगवान पार्क,** गीता धाम व **कलात्मक जैन मंदिर** है।

(स्रोत– राजस्थान स्थानावली, डॉ. रतन जोशी)

❖ किराडू (बाड़मेर)

- किराडू तराशे हुए पत्थरों से निर्मित सुंदर और कला नगरी प्राचीन शिल्पकला, वैभवपूर्ण और स्थापत्य का अभिनव केन्द्र है। प्राचीन शिलालेखों में इस स्थान का नाम **'किरातकूप'** मिलता है।

5 राजस्थान के प्रमुख उद्योग

राजस्थान का औद्योगिक परिदृश्य	
सर्वाधिक औद्योगिक इकाईयों वाला जिला	जयपुर
न्यूनतम औद्योगिक इकाईयों वाला जिला	जैसलमेर
राज्य में सर्वाधिक मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाईयाँ	जिला– अलवर स्थान– भिवाड़ी
सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाईयों वाला जिला	जयपुर व अलवर
न्यूनतम वृहद औद्योगिक इकाईयों वाला जिला	करौली
सर्वाधिक पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ	जयपुर, जोधपुर
सबसे कम पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ	जैसलमेर, बारां
राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर	जयपुर
राजस्थान का सबसे छोटा औद्योगिक नगर	करौली
सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय औद्योगिक इकाईयाँ	भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा)

- **वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)** में **स्थिर कीमतों** पर **उद्योग क्षेत्र** का योगदान-29.84%
- **वर्ष 2023-24 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)** में **प्रचलित कीमतों** पर **उद्योग क्षेत्र** का योगदान-28.21%
- **उद्योग क्षेत्र** के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ तथा निर्माण क्षेत्र शामिल है।
- औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की गणना **पिछड़े राज्यों में** होती है।

✦ राजस्थान में **31 मार्च, 2023** तक **238 वृहद् उद्योग** कार्यरत हैं।

- **सर्वाधिक वृहद् स्तरीय उद्योग – भिवाड़ी** (77)
  द्वितीय स्थान– अलवर (21), **भीलवाड़ा** (21)

✦ **बिजनेस सुधार प्लान 2020– इसमें राजस्थान** को निष्पादन **एस्पायर श्रेणी** में सम्मिलित किया गया है।

✦ **बिजनेस सुधार प्लान 2024**– इसमें **कुल** 344 सुधार बिन्दु सम्मिलित हैं, जिन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है-

- **भाग-अ** में 11 केन्द्रीय मंत्रालयों को सम्मिलित करने वाले 57 सुधार बिन्दु।
- **भाग-ब** में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित 287 व्यवसाय केन्द्र सुधार बिन्दु को सम्मिलित किया गया है।

✦ **Industrial Policy 2024- Ease of Doing business (EoDB)** एवं **Sustainability** आधारित यह नीति लायी जायेगी। इस नीति के माध्यम से थीम बेस्ड इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना व **Hassle Free Goods Transportation** उपलब्ध कराने के साथ **रिसर्च** एवं **डवलपमेंट** (**R&D**) तथा **ग्रीन टेक्नॉलोजी** को बढ़ावा दिया जायेगा। (बजट घोषणा 2024-25)

❖ निर्यात-

- राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल निर्यात **83,704.24 करोड़ रु.** का हुआ है।
- राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली **शीर्ष वस्तुएँ** निम्न है-

क्र.सं.	वर्ष 2023-24 में राजस्थान से निर्यात	
1.	इंजीनियरिंग वस्तुएँ	19.82%
2.	रत्न व आभूषण	13.36%
3.	धातुएँ	11.78%
4.	कपड़ा	10.54%
5.	हस्तशिल्प	9.54%

- ऊपर सूची में दी गई राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात होने वाली **शीर्ष 5 वस्तुओं** का राज्य से होने वाले निर्यात में **65%** से अधिक योगदान है।

☞ **नोट-** राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **'राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद'** (8 नवम्बर, 2019) तथा **'राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद'** (25 अक्टुबर, 2019) का भी गठन किया गया है।

❖ **राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक-** विश्व खाद्य दिवस 7 जून, 2023 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (**FSSAI**) द्वारा 6वाँ **'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक' (SFSI)** में राजस्थान राज्य ने **45 अंकों** के साथ **8वाँ** स्थान हासिल किया।

➢ राजस्थान सरकार ने **औद्योगिक सम्भावनाओं** के आधार 1972 में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा करवाये गये एक सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान के सभी जिलों को **4 श्रेणियों** में विभाजित किया है-

1. **विशिष्ट श्रेणी-** जयपुर जिला
2. **'ए' श्रेणी-** अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, कोटा व बारां।
3. **'बी' श्रेणी-** बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, टोंक, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा, सवाईमाधोपुर व करौली।
4. **'सी' श्रेणी-** जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, डूँगरपुर, झालावाड़, बूँदी, धौलपुर।

❖ सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम (M.S.M.E)

➢ **1 जुलाई, 2020** से परिवर्तित उद्यम मानदण्डों के अनुसार उद्यमों का वर्गीकरण-

1. **सूक्ष्म उद्यम-** ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश 1 **करोड़ रु.** से अधिक नहीं है और कारोबार 5 **करोड़ रु.** से अधिक नहीं है।
2. **लघु उद्यम-** ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश **10 करोड़ रु.** से अधिक नहीं है और कारोबार **50 करोड़ रु.** से अधिक नहीं है।
3. **मध्यम उद्यम-** ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश **50 करोड़ रु.** से अधिक नहीं है और कारोबार **250 करोड़ रु.** से अधिक नहीं है।

- ✓ सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET)- जयपुर
- ✓ वुडन वेयर सर्विस सेन्टर - जोधपुर
- ✓ नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT)- जोधपुर
- ✓ फुटवियर डिजाइन एंड डवलपमेन्ट इंस्टिट्यूट - जोधपुर
- ✓ नेशनल ट्रेनिंग सेन्टर फॉर वुड टेक्नोलॉजी व डिजाईन - जोधपुर
- ✓ हैण्डलूम डिजायन डवलपमेन्ट एंड ट्रेनिंग सेन्टर - नागौर
- ✓ हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केन्द्र - जयपुर
- ✓ सेन्टर फॉर ज्वैलरी डिजाईन एंड ट्रेनिंग व जैम बोर्स - जयपुर
- ✓ ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र - जोधपुर (प्रस्तावित)

☞ **राजस्थान सरकार कुछ नए औद्योगिक जोन की स्थापना करने जा रही है जो निम्न प्रकार है-**

- **पेट्रो केमिकल जोन**- पचपदरा (बालोतरा)
- **प्लग एंड प्ले जोन**- सीतापुरा (जयपुर)
- **सिरेमिक एंड ग्लास जोन**- सोनियाना (चित्तौड़गढ़)
- **आर्टिफिशियल ज्वैलरी जोन** - बड़गाँव (सिरोही)
- **एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन**- तिंवरी (जोधपुर)
- **ग्रेनाइट जोन**- बग्गड़ (राजसमंद)
- **हैंड टूल जोन**- गोगेलाव (नागौर)
- **फिनटैक पार्क**- जयपुर

- **वन स्टॉप शॉप भवन- जयपुर**
- **सेन्टर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एण्ड क्लाइमेट चेंज- जयपुर**
- **इनोवेशन हब- जयपुर, जोधपुर व कोटा** (स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए)
- **एम.एस.एम.ई. तकनीकी पार्क-** दौसा
- **विश्वकर्मा एमएसएमई टॉवर** - राजसिको द्वारा **जयपुर** में
- **कांकाणी (जोधपुर)- PM-MITRA** योजना के तहत् प्रस्तावित **7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों** में से एक कांकाणी (जोधपुर) में रीको के माध्यम से लगाया जाएगा।

➢ **बजट घोषणा 2024-25 में निम्न औद्योगिक पार्क/स्टोन मण्डियों की स्थापना की जायेगी।**

- **टैक्सटाइल पार्क- भीलवाड़ा**
- **सिरेमिक पार्क- बीकानेर**
- **इण्डस्ट्रीयल एण्ड लॉजिस्टिक हब- बांदीकुई (दौसा)**
- **सोलर पैनल मैन्युफेक्चरिंग पार्क- कांकानी/रोहट (पाली)**
- **बायोमास पैलेट एवं कैमिकल मैन्युफेक्चरिंग पार्क- बाँसवाड़ा**
- **टाइल्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क- किशनगढ़ (अजमेर)**
- **हैण्डीक्राफ्ट पार्क- जोधपुर**
- **खुशियारा औद्योगिक पार्क- बारां**
- **पण्डेर (जहाजपुर) औद्योगिक पार्क- शाहपुरा (भीलवाड़ा)**
- **आई.टी. पार्क- अजमेर**

पचपदरा रिफायनरी-(बालोतरा)

- **HPCL** राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड- इस कंपनी की स्थापना 18 सितम्बर, 2013 को की गई।
- रिफायनरी का शिलान्यास **16 जनवरी, 2018** को किया गया है। इसमें **राजस्थान सरकार** का **26%** (**3738 करोड़ रू.**) व **एचपीसीएल का 74%** (10,638 करोड़ रू.) की संयुक्त साझेदारी है।
- यह राजस्थान की **पहली** व देश की **26 वीं रिफायनरी** होगी।
- इस रिफायनरी की कुल क्षमता **9 MMTPA**/90 लाख मीट्रिक टन सालाना है। परियोजना की लागत **43129 करोड़ रुपए** तथा यह **2:1** के अनुपात में वित्त पोषित है। यह देश की **पहली इको-फ्रेन्डली** (बीएस-6 मानक के तेल का उत्पादन) रिफायनरी होगी।
- पचपदरा रिफायनरी की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार व HPCL के मध्य नया **एमओयू 18 अप्रैल, 2017** को किया गया है।
- यह देश की पहली ऐसी परियोजना है, जिसमें **रिफाईनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स** का सम्मिश्रण है।

- **राजस्थान पेट्रो जोन-** पचपदरा रिफाइनरी (बालोतरा) से निकलने वाले **Downstream Products** आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में **'राजस्थान पेट्रो जोन'** की स्थापना की जायेगी। (बजट घोषणा 2024-25)

उद्योगों को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ

☞ **ध्यान रहे-** उद्योगों से सम्बन्धित प्रमुख योजनाओं का विवरण **अध्याय 6** (राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ) में दिया गया है, उनके अतिरिक्त योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है:-

❖ **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP)-** भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की योजना है। इसमें **Common Infrastracture, CETP, Captive Power Plants** आदि की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अथवा 40 करोड़ रूपये की सहायता देने का प्रावधान है। ये योजना **31 मार्च, 2020** तक प्रभावी थी।

☞ वर्तमान में राज्य में योजनान्तर्गत 3 टैक्सटाईल पार्क कार्यरत हैं-

1. **जयपुर इंटीग्रेटेड टैक्सक्राफ्ट पार्क , बगरू** (जयपुर)
2. **किशनगढ़ हाईटैक टैक्स पार्क, किशनगढ़** (अजमेर)
3. **नेक्सजेन टैक्सटाईल पार्क, पाली**

❖ **मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना-**

- **01 अप्रैल, 2023** से **31 मार्च, 2024** तक लागू की गई थी।
- इस योजना की अवधि **31 जुलाई, 2024** तक बढ़ा दी गई।
- योजनान्तर्गत राज्य के **18 से 35 वर्ष** तक की आयु वर्ग न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा उद्यमियों को अपना नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) प्रारम्भ करने के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये गये **25 लाख रु.** तक के ऋण पर **8% ब्याज** अनुदान तथा **25 लाख रु.** से अधिक एवं **1 करोड़ रु.** तक की ऋण राशि पर **6%** ब्याज अनुदान देय है।

6 राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ

- राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार की **फ्लैगशिप योजनाओं** का पृथक से उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है:–

❖ मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना–

- **प्रारम्भ– 16 दिसम्बर, 2024 (स्रोत– सुजस ई–बुलेटिन)**
- योजना के तहत् राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद एवं असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, ट्रॉंसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारन्टी अथवा प्रक्रिया शुल्क के **80 हजार रुपये** तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। **(स्रोत– सुजस ई–बुलेटिन)**

❖ मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना–

- **प्रारम्भ– 16 दिसम्बर, 2024 (स्रोत– सुजस ई–बुलेटिन)**
- इस योजना में दुर्लभ बीमारी से पीड़ित **18 वर्ष तक** के बच्चों को **50 लाख रुपये** तक का उपचार उपलब्ध करवाया जायेगा और उनकी देखभाल के लिए **5 हजार रुपये प्रतिमाह** आर्थिक सहायता दी जायेगी।
- प्रथम चरण में **जेके लोन अस्पताल** और **एम्स जोधपुर** को इस योजना में इलाज के लिए अधिकृत किया गया है।

❖ मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना–

- **प्रारम्भ– 16 दिसम्बर, 2024**
- यह योजना **18 से 45 वर्ष** आयु वर्ग के श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू की गई है। **(स्रोत– सुजस ई–बुलेटिन)**
- इस योजना में **60 से 100 रूपये मासिक प्रीमियम** देने पर 60 वर्ष के उपरान्त **3,000 रूपये** प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। **(स्रोत– सुजस ई–बुलेटिन)**
- प्रीमियम में से शेष **400 रूपये प्रतिमाह** राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह पेंशन वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।

❖ मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना–

- **प्रारम्भ– 13 दिसम्बर, 2024** (अजमेर जिले से)
- **नोडल विभाग–** पशुपालन विभाग

☞ **ध्यान रहे–** योजना का क्रियान्वयन ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जायेगा।

- इस योजना के अन्तर्गत प्रथमतः **5–5 लाख** दुधारू गाय/भैंस, 5–5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख **उष्ट्र वंश** (ऊँट) का बीमा किया जायेगा। इस योजना में **400 करोड़** रुपये व्यय होगें।

➢ **योजना की प्रमुख विशेषताएँ–**

- योजनान्तर्गत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी **जनाधार कार्ड धारक** पशुपालक पात्र होगें और इन पशुपालकों द्वारा बीमा विभाग से प्रदत्त वेबसाइट में योजना के लाभ हेतु आवेदन (13 दिसम्बर, 2024 से 12 जनवरी, 2025 तक) किया जायेगा तथा **लॉटरी** द्वारा चयनित पशुपालकों के पशु का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- इसमें राज्य के समस्त **गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक** पशुपालक, समस्त **लखपति दीदी** पशुपालकों को प्रथम प्राथमिकता से लाभान्वित किया जायेगा
- बीमा के लिए पशुओं की **टैगिंग** अनिवार्य है। चयनित पशुपालकों के अधिकतम **2 दुधारू पशु** (गाय, भैंस अथवा दोनों), 10 बकरी/10 भेड़/1 उष्ट्र वंश पशु का **निःशुल्क बीमा** किया जायेगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत् बीमित नहीं हो।
- यह बीमा **1 वर्ष के लिए** किया जायेगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जायेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि **40,000 रुपये** से अधिक नहीं होगी।

➢ **पशु की उम्र का निर्धारण–**

पशु	बीमा हेतु पशु की उम्र
गाय (दुधारू)	3 वर्ष से 12 वर्ष
भैंस (दुधारू)	4 वर्ष से 12 वर्ष
बकरी/भेड़ (मादा)	1 वर्ष से 6 वर्ष
ऊँट (नर व मादा)	2 वर्ष से 15 वर्ष

(स्रोत– पशुपालन विभाग वेबसाइट)

❖ राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना–

- **प्रारम्भ– 28 अगस्त, 2024 (स्रोत– सुजस ई–बुलेटिन)**
- योजनान्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के **5 लाख गोपालक** किसान परिवारों को **1 लाख रुपये** तक का अल्पकालीन **ब्याज मुक्त ऋण** 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा गोपालकों को डेयरी से सम्बन्धित गतिविधियों यथा शैड, खेळी का निर्माण तथा दूध, चारा, बांटा सम्बन्धी उपकरण खरीदने के लिए **'किसान क्रेडिट कार्ड'** (KCC) की तर्ज पर **'गोपाल क्रेडिट कार्ड'** (GCC) योजना क्रियान्वित की जा रही है।
- इस योजना पर आगामी वर्ष में **150 करोड़ रुपये** व्यय होंगे।

❖ शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर–

- राज्य की शहरी **गरीब** और **कमजोर आबादी** (मुख्य रूप से कच्ची, सघन बस्तियों में) को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए, जहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, वहाँ **'शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर'** (जिसे पहले जनता क्लिनिक के रूप में जाना जाता था) निकटवर्ती क्षेत्र में खोले गए हैं।
- राज्य में वर्तमान में **246 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर** संचालित किए जा रहे हैं।

☞ **नोटः–** राज्य में **18 दिसंबर, 2019** को वाल्मिकी कॉलोनी, मालवीय नगर **(जयपुर)** में **प्रथम जनता क्लिनिक** का उद्घाटन किया गया था।

❖ निरोगी राजस्थान अभियान–

- **प्रारम्भ– 18 दिसम्बर, 2019**
- **उद्देश्य–** प्रदेश के समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान के लिए।
- **विभाग– चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**
- इस अभियान के तहत् मौसमी संचारी रोग, असंक्रामक रोग, प्रदुषण आदि पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं।

❖ राजस्थान जन आधार योजना–

- विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आगमन तक पहुँचाने के उद्देश्य से **'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस योजना की **शुरुआत 18 दिसम्बर, 2019** को की गई।
- **उद्देश्य–** जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ (नकद या गैर–नकद) आसानी से तथा सुलभ और पारदर्शी बनाना।
- राज्य के सभी निवासी परिवारों को **10 अंकों** की जन आधार **परिवार आईडी** तथा इन परिवारों के सदस्यों की **11 अंको** की आईडी प्रदान की जाती है।
- इसमें सभी महिला मुखियाओं के **बैंक खाते** खोले गये हैं। परिवार के सभी **नकद लाभ** अनिवार्य रूप से परिवार के मुखिया यानि परिवार की महिला के बैंक खाते में स्थानान्तरित किए जाते हैं।
- प्रदेश में **4 अगस्त, 2021** से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 भी लागू हो चुके हैं।

❖ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)–2019

- राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह योजना **17 दिसम्बर 2019** से प्रभावी की गई।
- यह योजना **31 मार्च, 2026** तक प्रभावी रहेगी।
- इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए **SGST का 100% पुर्नभरण** तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्युटी एवं मण्डी शुल्क में 100% तक की छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के प्रावधान है।
- इस योजना के तहत् अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए **डॉ. भीमराव अम्बेडकर विशेष पैकेज** का प्रावधान किया गया है।

❖ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)–

- **प्रारम्भ– 13 दिसम्बर 2019**
- प्रदेश में विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से **10 करोड़** तक **ऋण प्रदान** करवाया जाता है। **(REET- II (अंग्रेजी) 2023)**

(स्रोत– आर्थिक समीक्षा 2023–24)

- इस योजना में लघु उद्योग के उद्यमियों के लिए ब्याज पर अनुदान के निम्न प्रावधान है।
  - ➢ **25 लाख** तक के ऋण पर– 8% ब्याज अनुदान
  - ➢ **5 करोड़** तक के ऋण पर– 6% ब्याज अनुदान
  - ➢ **10 करोड़** तक के ऋण पर– 5% ब्याज अनुदान

❖ मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना –

- यह योजना शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए **07 नवम्बर, 2019** को शुरू की गई।
- **उद्देश्य–** कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है, ताकि प्रशिक्षण के बाद वे **मजदूरी या स्वरोजगार** का लाभ उठा सकें।
- इस योजना का संचालन **RSLDC** एवं **कॉलेज शिक्षा विभाग** (कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।
- योजनान्तर्गत विद्यार्थियों के लिए **45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** तैयार किये गये है, जो कॉलेज के युवाओं के लिए प्रासंगिक है।
- **विश्व युवा कौशल दिवस–** राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष **15 जुलाई** को **'विश्व युवा कौशल दिवस'** मनाया जाता है।

❖ जनसूचना पोर्टल 2019–

- **प्रारम्भ– 13 सितम्बर, 2019**
- **विभाग–** सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
- **आदर्श वाक्य– सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान**
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावनाओं से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा **13 सितम्बर, 2019** को **जन–सूचना पोर्टल–2019** का लोकार्पण किया गया।
- सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया है।
- वर्तमान में पोर्टल पर **117 विभागों** की चल रही **344 योजनाओं** की **729 बिन्दुओं** की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है।

- इस योजना के अतर्गत **18 जिलों** (अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूँदी, चित्तौडगढ़, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, बारां, पाली, सवाईमाधोपुर, करौली, सिरोही, टोंक, उदयपुर एवं राजसमंद) में **44 माडा लघु खण्ड़ों** का गठन किया है, जिसमें **3258 गाँव** सम्मिलित है।

☞ **नोट–** राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों व विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं का विवरण इस पुस्तक के **भाग 3** के **अध्याय 2** (केन्द्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ) में दिया गया है।

अन्य नवीनतम योजनाएँ

✦ **गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना–** इस योजना के तहत् गोवंश से **जैविक खाद** के उत्पादन हेतु **वर्मीकम्पोस्ट इकाई** के निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है।

- पात्र कृषकों व पशुपालकों के पास भू–स्वामित्व के साथ ही **पर्याप्त पशुधन, पानी** एवं **कार्बनिक पदार्थ** की उपलब्धता आवश्यक है। **(स्रोत– सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान)**
- किसान को वर्मीकम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिए लागत का **50 प्रतिशत** या अधिकतम **10 हजार रुपये** प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय होगा।

✦ **चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम 2024–** इस योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर **सिक्योरिटी कवरेज** मिलेगा। **(स्रोत– सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान)**

- योजना के तहत् **अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों** को श्रेणीवार **25 लाख रुपये** तक का **दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज** उपलब्ध करवाया जायेगा।

✦ **गोविन्द गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना–** इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में निवासी जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए **75 करोड़ रुपये** का प्रावधान किया गया है। **(स्रोत– सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान)**

- योजनान्तर्गत आदिवासियों के **जल–जंगल–जमीन** से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे दिये जाकर **कम्युनिटी सेन्टर, आँगनवाड़ी, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारागाह विकास** तथा **अन्य सामुदायिक** काम करवाये जाएंगे।

✦ **लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना–** प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को **20 हजार रुपये पेंशन** एवं **4 हजार रुपये** चिकित्सा सहायता प्रतिमाह दी जा रही है। इसके लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 को **01 फरवरी, 2024** से प्रभावी किया गया है। **(स्रोत– सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राज.)**

- लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में **निःशुल्क यात्रा** सुविधा दी जा रही है।

✦ **मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना–** अक्टूबर 2024 से प्रारम्भ इस योजना के तहत् **विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदायों** के व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाओं युक्त पक्का आवास उपलब्ध करवाने हेतु **1.20 लाख** सहायता राशि **3 किश्तों** में प्रदान की जाती है।

- योजना में एसबीएम (स्वच्छ भारत मिशन) के तहत् शौचालय निर्माण हेतु **12 हजार रुपये** एवं मनरेगा में **90 मानव दिवस** के कार्य हेतु **श्रम वेतन** के पेटे **23 हजार 940 रुपये** प्रदान किये जाएंगे।**(स्रोत– सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान)**

विभिन्न योजनाएँ

योजना का नाम	प्रारम्भ करने की दिनांक
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना	16 दिसम्बर, 2024
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना	16 दिसम्बर, 2024
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना	16 दिसम्बर, 2024
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना	13 दिसम्बर, 2024
राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना	28 अगस्त, 2024
मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना	21 अगस्त, 2024
MAA (मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य) वाउचर योजना	08 अगस्त, 2024
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना	07 मार्च, 2024
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना	19 फरवरी, 2024
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)	06 जनवरी, 2024
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी)	06 जनवरी, 2024
रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना	01 जनवरी, 2024
कामधेनु बीमा योजना	06 सितम्बर, 2023
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना	07 जुलाई, 2023
मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना	11 अक्टूबर, 2022
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2022	07 अक्टूबर, 2022
इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना	09 सितम्बर, 2022
डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना– 2022	08 सितम्बर, 2022
मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम एण्ड जॉब वर्क योजना–	26 अगस्त, 2022
राजस्थान महिला निधि योजना	26 अगस्त, 2022
खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना	13 जुलाई, 2022

7 राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी

➢ अध्ययन की सुविधा के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों को निम्न **4 भागों** में बांटा गया है–

1. **राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी**
2. **राजस्थान के प्रमुख पैरा खिलाड़ी**
3. **राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी**
4. **राजस्थान के अन्य चर्चित खिलाड़ी**

राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी

❖ अनन्तजीत सिंह नरूका (टोंक)– निशानेबाजी

- अनन्तजीत सिंह नरूका मूलतः **उनियारा** (टोंक) के निवासी हैं।
- **पेरिस ओलम्पिक** (2024) में इन्होंने राजस्थान की ही महेश्वरी चौहान के साथ निशानेबाजी की **'स्कीट मिक्सड टीम स्पर्धा'** में भाग लिया और **चौथे स्थान** पर रहे।
- ISSF विश्वकप 2024 (दिल्ली) में स्कीट स्पर्धा में **कांस्य पदक** जीता।
- एशियन चैंपियनशिप 2024 (कुवैत सिटी) में स्कीट स्पर्धा में **रजत पदक'** जीता।
- **19वें एशियाई खेल 2023** (हांगझोऊ, चीन) में पुरुषों की स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में **'रजत पदक'** जीता तथा टीम स्पर्धा में **'कांस्य पदक'** जीता।

❖ महेश्वरी चौहान (जालौर)– निशानेबाजी

- महेश्वरी चौहान मूलतः **सियाणा** (जालौर) की निवासी हैं।
- इन्होंने **पेरिस ओलम्पिक** (2024) में स्कीट स्पर्धा में अनन्तजीत सिंह नरूका के साथ भाग लिया, लेकिन पदक जीतने में असमर्थ रही।
- **7वीं एशियन चैंपियनशिप 2024** (कजाकिस्तान) में **'कांस्य पदक'** जीता।
- ISSF शॉटगन ओलम्पिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप 2024 (दोहा, कतर) में स्कीट स्पर्धा में **'रजत पदक'** जीता।
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली **पहली भारतीय** हैं।

❖ अपूर्वी चन्देला (जयपुर)– निशानेबाजी/शुटिंग

(REET L-2 Science/Maths 2023)

- टोक्यो ओलम्पिक 2020 में अपूर्वी चन्देला **10 मीटर एयर राइफल** में **36 वें स्थान** पर रही। इन्होंने रियो ओलम्पिक (2016) में भी भाग लिया था।
- इन्होंने आईएसएसएफ (ISSF) **विश्व कप 2019** में **'स्वर्ण पदक'** जीता तथा **कॉमनवेल्थ खेल 2014** (ग्लास्गो) में **'स्वर्ण पदक'** हासिल किया।
- 21वें राष्ट्रमण्डल खेल, गोल्ड कोस्ट सिटी (ऑस्ट्रेलिया) **2018** में **10 मीटर** एयर राइफल स्पर्धा में **'कांस्य पदक'** जीता।
- **2016** में इन्हें **'अर्जुन पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया।

❖ रजत चौहान (जयपुर)– तीरंदाजी

- इन्होंने **तीरंदाजी विश्व कप 2024** (शंघाई, चीन) में पुरुषों की कंपाउड टीम स्पर्धा में **'स्वर्ण पदक'** जीता। मई 2024 में इंचियोन (दक्षिण कोरिया) में वर्ल्डकप में भारतीय टीम में भाग लिया।
- मार्च 2023 में आयोजित नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता (सीनियर कंपाउड टीम स्पर्धा) गुजरात में **'कांस्य पदक'** जीता।
- इन्होंने 7–10 जनवरी, 2022 को हैदराबाद में आयोजित पहली एनटीपीसी (NTPC) **नेशनल रैंकिंग कम्पाउण्ड आर्चरी टुर्नामेंट** में **'स्वर्ण पदक'** जीता।
- तीरंदाजी विश्वकप 2022 (अंताल्या, तुर्की) में कंपाउंड टीम स्पर्धा में **स्वर्ण पदक** जीता।
- 2016 में इन्हें **'अर्जुन अवार्ड'** से सम्मानित किया गया।
- इन्होंने 2014 एशियाई खेलों में **'स्वर्ण पदक'** जीता।
- ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस में **डीएसपी** के पद पर कार्यरत हैं।

❖ अर्जुन लाल जाट (नया बास, जयपुर)– नौकायन

- ये वर्तमान में **भारतीय सेना** में सेवारत हैं। इन्होंने **टोक्यो ओलम्पिक** (2020) में पुरुषों की 'लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा' में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- **19वें एशियाई खेल 2023** (हांगझोऊ, चीन) में अपने साथी खिलाड़ी अरविन्द सिंह के साथ LWT डबल स्कल्स स्पर्धा में **'रजत पदक'** जीता।

❖ दिव्यांश सिंह पंवार (जयपुर)– निशानेबाजी

- ISSF विश्व कप 2024 (काहिरा) में 10 मीटर एयर राइफल में **'स्वर्ण पदक'** जीता।
- इन्होंने 19वें एशियाई खेल 2023 (हांगझोऊ, चीन) में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में **'स्वर्ण पदक'** तथा 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में **'रजत पदक'** जीता।
- 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 (चेंग्दू, चीन) में 10 मीटर एयर राइफल (पुरुष) में **'स्वर्ण पदक'** जीता। **(स्रोत– प्रगति प्रतिवेदन 2023–24 राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्)**
- इन्होंने 2019 में **बीजिंग** (चीन) में हुए ISSF विश्व कप में **'रजत पदक'** जीतकर टोक्यों ओलम्पिक (2020) में जगह बनायी थी एवं अब तक ISSF विश्व कप में **चार स्वर्ण पदक** जीत चुके है।
- ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में **'स्वर्ण पदक'** जीता।

❖ पेरिस पैरालंपिक–2024 में राजस्थान

- इन पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के **9 खिलाड़ियों** ने भाग लिया।
- कृष्णा नागर – **(जयपुर)** बैडमिंटन
- **संदीप चौधरी** – **(झुंझुनूं)** भाला फेंक
- सुंदर गुर्जर – **(करौली)** भाला फेंक
- अवनी लेखरा – **(जयपुर)** शूटिंग
- **श्याम सुंदर स्वामी** – **(बीकानेर)** तीरंदाजी
- अनीता चौधरी – **(झुंझुनूं)** रोइंग
- **मोना अग्रवाल** – **(सीकर)** निशानेबाजी
- निहाल सिंह – **(खैरथल–तिजारा)** निशानेबाजी
- **रूद्राक्ष खंडेलवाल** – **(भरतपुर)** निशानेबाजी

❖ **पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता–** पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के कुल **9 खिलाड़ियों** ने भाग लिया था, जिनमें से निम्न 3 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं–

1. अवनी लेखरा **(जयपुर)**– 10 मीटर एयर राईफल, SH 1 स्पर्धा, 249.7 अंकों के साथ **'स्वर्ण पदक'**
2. मोना अग्रवाल **(सीकर)**– 10 मीटर एयर राईफल, SH 1 स्पर्धा, 228.7 अंकों के साथ **'कांस्य पदक'**
3. सुन्दर गुर्जर **(करौली)**– भाला फेंक, F 46 स्पर्धा, 64.96 मीटर के साथ **'कांस्य पदक'**

- अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में **2 स्वर्ण पदक** जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अवनी ने **टोक्यो पैरालंपिक 2020** में भी **'स्वर्ण पदक'** जीता था। इसके साथ ही अवनी लेखरा ने देवेन्द्र झाझड़िया की बराबरी कर ली है। **देवेन्द्र झाझड़िया** ने 2004 में एथेन्स पैरालंपिक व 2016 में रियो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे।

अवनी लेखरा

मोना अग्रवाल

सुन्दर गुर्जर

❖ 10वें एशिया पेसिफिक डेफ गेम्स 2024 (कुआलालम्पुर, मलेशिया) में राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी

- दिसम्बर 2024 में आयोजित इन खेलों में राजस्थान के **खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 7 रजत व 3 कांस्य पदक जीते।**

1. मिलनमीत कौर (हनुमानगढ़) जूडो में **स्वर्ण पदक**
2. संदीप कुमार (चुरू) हैमर थ्रो में **स्वर्ण पदक**
3. रमेश कुमार (चुरू) एथलेटिक्स में **रजत पदक**
4. **अभिनव शर्मा** (जयपुर) बैडमिंटन में **रजत पदक**
5. अभिनव शर्मा (जयपुर) बैंडमिंटन मिश्रित स्पर्धा में **रजत पदक**
6. देवेन सोनी (जयपुर) एथलेटिक्स (800 मीटर दौड़) में **रजत पदक**
7. दक्षराज सिंह (अजमेर) बैडमिंटन में **रजत**
8. **अंकित सूद** (अलवर) कुश्ती में **कांस्य**
9. मिलनमीत कौर (हनुमानगढ़) जुडो में **कांस्य पदक**
10. पियूष (जोधपुर) बैडमिंटन में **रजत पदक**
11. **पियूष** (जोधपुर) बैडमिंटन में **कांस्य पदक**
12. **गौरांशी शर्मा (कोटा)** बैडमिंटन में **रजत पदक**

❖ 37वें राष्ट्रीय खेल (2023) – गोवा

- **आयोजन–** 25 अक्टूबर से 09 नवम्बर, 2023 तक
- **राजस्थान दल का नेतृत्व– रजत चौहान**
- इन खेलों में राजस्थान 14 स्वर्ण, 18 रजत व 34 कांस्य पदक (कुल पदक 66) के साथ पदक तालिका में **13वें स्थान** पर रहा।
- इन खेलों में **'स्वर्ण पदक'** जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी।

(1) निकेत जांगिड़ (भारोत्तोलन)
(2) नितिका बंसल, मुकेश चौधरी, तोसीफ हसन, नीलम चौधरी (वुशु में 4 स्वर्ण जीते)
(3) अदिति नहरला (पेनचाक सिलाट)
(4) सुनील जाखड़ (तलवारबाजी)
(5) रोलबॉल पुरुष टीम वर्ग
(6) शहादत अहमद (स्काय मार्शल आर्ट)
(7) आराध्या चौपड़ा (जूडो)
(8) पुरुष बास्केट बॉल टीम
(9) **कम्पाउंड महिला टीम स्पर्धा–** स्वाति दूधवाल (तीरंदाजी), प्रियंका मीणा (तीरंदाजी), प्रियंका गुर्जर (तीरंदाजी), कृति स्वामी (तीरंदाजी)

गुरू वशिष्ठ पुरस्कार विजेता		
हीरानन्द कटारिया	कबड्डी	2006–07
शंभूसिंह तंवर	हैंड बॉल	2006–07
प्रेमचन्द शर्मा	तीरंदाजी	2006–07
विमला शर्मा	हॉकी	2006–07
अमृतलाल कल्याणी	पॉवर लिफ्टिंग	2008–09
विरेन्द्र सिंह पूनियां	एथलेटिक्स	2009–10
करण सिंह	हैंड बॉल	2010–11
महिपाल ग्रेवाल	जूडो	2010–11
अमित असावा	क्रिकेट	2011–12
जयन्तीलाल ननोमा	तीरंदाजी	2012–13
राजेश कुमार टेलर	वुशु	2012–13
रामप्रसाद टेलर	वॉलीबॉल	2013–14
धनेश्वर मईडा	तीरंदाजी	2013–14
अशोक चौधरी	वॉलीबॉल	2014–15
श्रवण कुमार भाम्भु	साईक्लिंग	2015–16
सागरमल धायल	मुक्केबाजी	2015–16
यादवेन्द्र सिंह	बैडमिंटन	2015–16
महेश कुमार रंगा	साईक्लिंग	2017–18
रमेश सिंह (REET-II अंग्रेजी, 2023)	रोलबॉल	2017–18
स्रोत– वेबसाईट राजस्थान स्टेट स्पोर्टस काउंसिल		

पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी			
1	श्रीराम सिंह	एथलेटिक्स	1974
2	रघूवीर सिंह	घुड़सवारी	1983
3	भुवनेश्वरी कुमारी	स्कवैष	2001
4	राज्यवर्धन सिंह राठौड़	निशानेबाजी	2005
5	कृष्णा पुनिया	एथलेटिक्स	2011
6	देवेन्द्र झाझड़िया	जैवलिन थ्रो	2012
7	लिम्बाराम	तीरंदाजी	2012
8	बजरंगलाल ताखर	नौकायन	2012
9	अवनि लेखरा	पैरा–शूटिंग	2022
नोट– एथलेटिक्स में सर्वाधिक पद्मश्री मिले हैं। (REET L-1 2023)			
स्रोत– वेबसाइट राजस्थान स्टेट स्पोर्टस काउंसिल			

आईपीएल 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी		
क्र.सं.	नाम खिलाड़ी (जिला)	आईपीएल टीम
1.	खलील अहमद (टोंक)	चैन्नई सुपरकिंग्स
2.	रवि बिश्नोई (जोधपुर)	लखनऊ सुपर जाइंट्स
3.	दीपक चाहर (श्रीगंगानगर) जन्म स्थान– आगरा	मुंबई इंडियंस
4.	राहुल चाहर (भरतपुर)	सनराइजर्स हैदराबाद
5.	महिपाल लोमरोड़ (नागौर)	गुजरात टाइटन्स
6.	मानव सुथार (श्रीगंगानगर)	गुजरात टाइटन्स

महाराणा प्रताप पुरस्कार विजेता		
गोपाल सैनी (REET-II हिन्दी 2023)	एथलेटिक्स (REET L-2 Sindhi 2023)	1982–83
राजकुमार अलहावत	एथलेटिक्स	1982–83
हमीदा बानों	एथलेटिक्स	1982–83
लक्ष्मण सिंह	गोल्फ	1982–83
श्रीमती वर्षा सोनी	महिला हॉकी	1982–83
श्रीमती गंगोत्री भंडारी	महिला हॉकी	1982–83
रघुवीर सिंह	घुड़सवारी	1982–83
जी.एम. खान	घुड़सवारी	1982–83
दफेदार प्रहलाद सिंह	घुड़सवारी	1982–83
रिसालदार विशाल सिंह	घुड़सवारी	1982–83
डॉ. करणी सिंह	निशानेबाजी	1982–83
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	एथलेटिक्स	1983–84
हनुमान सिंह	बास्केटबॉल	1983–84
पार्थसारथी शर्मा	क्रिकेट	1983–84
गिर्राज रंगा	साईक्लिंग	1983–84
आरिफ खान	साइकिल पोलो	1983–84
आर.के. पूरोहित	बॉलीबॉल	1983–84
श्रीमती रमा पाण्डे	बॉलीबॉल	1983–84
रामफल	कुश्ती	1983–84
अजमेर सिंह	बास्केटबॉल	1984–85
गंगाधर	साईक्लिंग	1984–85
श्रीमती चन्द्रिका गोयल	साईक्लिंग	1984–85
अशोक दास	साइकिल पोलो	1984–85
प्रभाकर राजू	बॉलीबॉल	1984–85
गोविन्द नारायण शर्मा	कबड्डी	1985–86
प्रदीप सुन्दरम	क्रिकेट	1986–87
सुरेश कुमार राजपूरोहित	साइक्लिंग	1986–87
अमरसिंह	साइक्लिंग	1987
गणेशलाल सुथार	साइक्लिंग	1987
सत्य प्रकाश	बास्केटबॉल	1987
हरिसिंह	एथलेटिक्स	1987
कमलकिशोर पारीक	कबड्डी	1987
मेजर एस.एन. माथुर	नौकायन	1987
हरफूल सिंह	एथलेटिक्स	1988
श्यामलाल (बांसवाड़ा)	तीरंदाजी	1988
रामकुमार	बास्केटबॉल	1988
सागर धायल	बॉक्सिंग	1988
श्रीमती निर्मलेश माथूर	कबड्डी	1988
श्रीमती सीमा सोनी	कबड्डी	1988
सुश्री हनी शर्मन	स्क्वैश	1988
नासिर वजीह	शतरंज	1988
रामनिवास	एथलेटिक्स	1989
लिम्बाराम (उदयपुर)	तीरंदाजी	1989
महिपाल सिंह	तैराकी	1989

भाग– II

राजस्थान की राजव्यवस्था

1 राज्यपाल

- भारतीय संविधान में राज्यों में भी **केन्द्र की तरह संसदीय व्यवस्था** को अपनाया गया है। **राज्यपाल को नाममात्र का कार्यकारी बनाया** गया है, लेकिन **वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् करती** है।
- राज्यपाल अपनी **शक्ति व कार्य** को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली **मंत्रिपरिषद् की सलाह पर ही कर सकता** है। सिर्फ उन विषयों को छोड़कर जिनमें **वह अपने विवेक** का इस्तेमाल करता है।
- **1 नवम्बर, 1956** तक राजस्थान **'बी श्रेणी'** का राज्य था। बी श्रेणी के राज्यपाल को **'राज प्रमुख'** कहा जाता था। 1 नवम्बर, 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर **'राज्यपाल'** पद सृजित किया गया।

☞ **नोट– राज्य पुनर्गठन आयोग** की सिफारिश पर **7वें संविधान संशोधन 1956** द्वारा राज्यों की श्रेणियाँ (A, B, C, D) समाप्त कर दी गई और राजप्रमुखों के स्थान पर राज्यपाल पद का सृजन किया गया।

- राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद **'राज्यपाल'** (गवर्नर) का होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का **औपचारिक प्रधान (संवैधानिक मुखिया)** होता है। तथा वह **केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि** के रूप में भी कार्य करता है।
- राज्यपाल **राज्य विधानमण्डल का अभिन्न अंग** है।

✦ **राज्यपाल के बारे में कथन–**

1. सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान– **सरोजिनी नायडु**
2. वेतन का आकर्षण– **विजयलक्ष्मी पंडित**
3. राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए **Headache** है तथा दूसरी ओर केन्द्र सरकार भी इन्हें महत्त्व नहीं देती– **मार्ग्रेट आल्वा**
4. संवैधानिक औचित्य का प्रहरी तथा वह कड़ी जो केन्द्र व राज्य सम्बन्धों को प्रगाढ़ करते हुए राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करती है– **के.एम.मुंशी**
5. 'राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, इनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं'– **सीतारमैया**

(स्रोत– कक्षा 12 राजनीति विज्ञान)

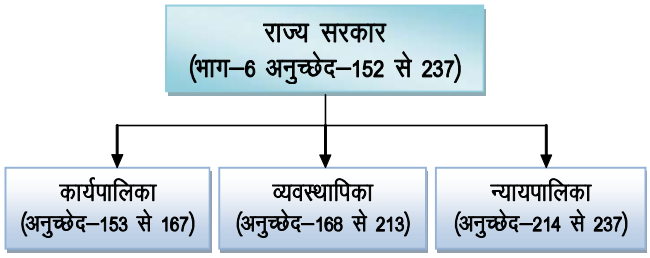

राज्यपाल से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद	
अनुच्छेद 153	राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155	राज्यपाल की नियुक्ति (REET L-2 (Maths) 2023)
अनुच्छेद 156	राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ
अनुच्छेद 158	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161	सभा आदि और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।
अनुच्छेद 162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति विस्तार
अनुच्छेद 163	मंत्रिपरिषद् का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना।
अनुच्छेद 164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे–नियुक्ति, कार्यकाल व वेतन आदि।
अनुच्छेद 165	राज्य महाधिवक्ता
अनुच्छेद 166	राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही
अनुच्छेद 167	राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य
अनुच्छेद 174	राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना।
अनुच्छेद 175	राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार
अनुच्छेद 176	राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन (REET L-2 (Urdu) 2023)
अनुच्छेद 200	विधेयक पर सहमति (राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना)
अनुच्छेद 201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति का निर्णय
अनुच्छेद 213	राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अनुच्छेद 217	राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना।
अनुच्छेद 233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 234	राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति (जिला न्यायाधीशों के अलावा)

❖ **अनुच्छेद–153–** प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा

☞ **ध्यान रहे– 7वाँ संविधान संशोधन 1956** की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को **दो या दो** से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

❖ अनुच्छेद–155 राज्यपाल की नियुक्ति

- राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने **हस्ताक्षर** और **मुद्रा** सहित **अधिपत्र द्वारा** नियुक्त करेगा।

2 मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्रिपरिषद्

❖ मुख्यमंत्री

- संघात्मक व्यवस्था में शासन का संचालन **दो स्तरों** पर होता है–
  1. **केन्द्र स्तर** 2. **राज्य स्तर**
- संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का दोहरा रूप होता है।
  1. **वास्तविक कार्यपालिका** (मुख्यमंत्री) 2. **औपचारिक कार्यपालिका,** (राज्यपाल)
- राज्य का संवैधानिक प्रमुख **राज्यपाल** होता है लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया **मुख्यमंत्री** होता है तथा मंत्रिपरिषद् मुख्यमंत्री के नेतृत्त्व में कार्य करती है।
- संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री केन्द्र के **प्रधानमंत्री** के समकक्ष राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रमुख, सरकार का प्रमुख तथा **राज्य का शासक व सर्वोच्च नेता** कहलाता है।
- मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के **भाग–6** में है।

अनुच्छेद 163	मंत्रिपरिषद् द्वारा **राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना**
अनुच्छेद 164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान
अनुच्छेद 166	राज्य सरकार द्वारा **कार्यवाही संचालन**
अनुच्छेद 167	मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्त्तव्य

✦ अनुच्छेद–163– राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्

✦ **अनुच्छेद–163(1)–** राज्यपाल को अपने **विवेकानुसार निर्णय** को छोड़कर अपने कार्यों व शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक **मंत्रिपरिषद्** होगी, जिसका मुखिया, **मुख्यमंत्री** होगा।

✦ अनुच्छेद–164– मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान

✦ **अनुच्छेद–164(1)–** मुख्यमंत्री की नियुक्ति **राज्यपाल** करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति **राज्यपाल** मुख्यमंत्री से परामर्श द्वारा करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करेंगे।

- राज्यपाल, प्रायः विधानसभा में **बहुमत दल के नेता** को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता हैं।
- यदि आम चुनाव के बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से **मुख्यमंत्री की नियुक्ति** कर सकता है या एक से अधिक दल मुख्यमंत्री पद के लिए दावे कर रहे हो या विधानसभा में कोई सर्वमान्य नेता न हो तब भी राज्यपाल **अपने विवेक से** मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को **1 माह** के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है।

➢ **कार्यकाल–** सामान्यतः **5 वर्ष**

- मुख्यमंत्री राज्यपाल के **प्रसादपर्यंत अपने पद पर** बना रहता है। प्रसादपर्यंत का तात्पर्य **विधानसभा में पूर्ण बहुमत** से है। यदि **विधानसभा में बहुमत न हो** तो **समय से पूर्व ही त्यागपत्र देना** पड़ता है।
- **मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल** को सौंपता है।
- मुख्यमंत्री का त्याग–पत्र समस्त **मंत्रिपरिषद् का त्याग–पत्र माना** जाता है।

✦ **पद से हटाना–** विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को पद से हटाया जा सकता है।

- यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे तो **मंत्रिपरिषद् का अंत** हो जाता है।

✦ **अनुच्छेद 164(3)– शपथ**

- किसी मंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व **राज्यपाल के समक्ष** पद व गोपनीयता की शपथ ली जाती है।
- मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप **अनुसूची 3** में मिलता है।

✦ **अनुच्छेद 164(4)–** मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का उल्लेख नहीं है। उसकी योग्यता वही है जो विधानसभा सदस्यों की होती है।

- जैसे–न्यूनतम **आयु 25 वर्ष**
- सामान्यतः **मुख्यमंत्री** विधानसभा का सदस्य होता है यदि सदस्य न हो तो **6 माह** के भीतर विधानमण्डल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है।

☞ **नोट–** यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह **राष्ट्रपति** चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभाओं के **निर्वाचित सदस्यों को ही** भाग लेने का उल्लेख है तथा मुख्यमंत्री मनोनीत है तो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

- यदि मुख्यमंत्री **विधानपरिषद्** का सदस्य है तो वह **अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं** कर सकता।

✦ **अनुच्छेद 164(5)– वेतन एवं भत्ते**

- मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण **राज्य विधानमण्डल** करता है। मुख्यमंत्री का वर्तमान वेतन **75,000 रुपए** है।

✦ अनुच्छेद 167– राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य

✦ **अनुच्छेद 167(क)–** मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी मंत्रीपरिषद् के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करेगा।

12. वसुंधरा राजे– जन्म– 1953 मुम्बई

- इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के दिन हुआ।
- राजस्थान की **प्रथम महिला मुख्यमंत्री** बनी।
- यह राजस्थान **भाजपा प्रदेशाध्यक्ष** रही।
- यह **6 बार विधायक** व **5 बार लोकसभा सांसद** रह चुकी हैं।
- यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय **2 बार केन्द्र में मंत्री** रही।
- यह राजस्थान विधानसभा में **2 बार विपक्ष नेता** बनी।

13. अशोक गहलोत– उपनाम– जादूगर

- जन्म– 1951 जोधपुर
- वर्तमान में ये **सरदारपुरा** (जोधपुर) से विधायक हैं।
- इन्होंने अल्बर्ट हॉल, जयपुर में 17 दिसम्बर, 2018 को मुख्यमंत्री के रूप में **तीसरी बार शपथ** ली।
- ये प्रथम बार मुख्यमंत्री बने तब **लोकसभा सांसद** थे, उपचुनाव में निर्वाचित होकर विधायक बने।
- ये **6 बार विधायक** व **5 बार लोकसभा सांसद** रह चुके हैं।
- ये राजस्थान NSUI के **अध्यक्ष** भी रहे थे।
- ये पूर्व **प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी**, **राजीव गाँधी** व **पी.वी. नरसिम्हा राव** के समय **केन्द्र में मंत्री** रहे चुके हैं।
- इनके समय 25 दिसम्बर, 2000 को **अंत्योदय अन्न योजना** की शुरुआत की गई।
- इनके समय वर्ष **2012–13** में सर्वप्रथम **जेण्डर बजट (REET L-1 2023)** प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष **2022–23** में **प्रथम बार कृषि बजट** प्रस्तुत किया गया।
- इनके मुख्यमंत्री के समय **3 उपमुख्यमंत्री** भी बनाए गए–
  1. **बनवारी लाल बैरवा** 2. **कमला बेनीवाल** 3. **सचिन पायलट**
- ➢ इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में सर्वाधिक **13 मुख्य सचिव** रहे।

14. भजन लाल शर्मा–

- **जन्म–** 15 दिसम्बर, 1966 (अटारी, भरतपुर)
- वर्तमान में ये **सांगानेर** (जयपुर) से विधायक हैं।
- वर्तमान में यह **पदक्रम के अनुसार 26वें** तथा **व्यक्तिक्रम के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री** है। इन्होंने रामनिवास बाग, जयपुर में 15 दिसम्बर, 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में **प्रथम बार शपथ** ली।
- मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद् में मंत्री नहीं रहे।
- ये प्रथम बार विधायक बने हैं।

- ➢ इनके समय **2 उपमुख्यमंत्री** भी बनाए गए–
  1. **सुश्री दीया कुमारी** 2. **श्री प्रेमचंद बैरवा**
- ➢ इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान **2 मुख्य सचिव**–
  1. **उषा शर्मा** 2. **सुधांश पंत** (वर्तमान में मुख्य सचिव है।)

✦ महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री– **सुचेता कृपलानी**
- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री– **हीरालाल शास्त्री**
- प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री– **टीकाराम पालीवाल**
- राजस्थान की केयरटेकर सरकार (कामचलाऊ सरकार) के मुख्यमंत्री– **टीकाराम पालीवाल**
- राजस्थान में केन्द्र द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री– **3**
  1. हीरालाल शास्त्री **2. सी.एस. वैंकटाचारी**
  3. जयनारायण व्यास
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री– **मोहनलाल सुखाड़िया** (16 वर्ष, 194 दिन)
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री– **हीरालाल देवपुरा** (16 दिन)
- राजस्थान में प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री– **बरकतुल्ला खान**
- राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री– **भैरोंसिंह शेखावत**
- राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री– **वसुंधरा राजे**
- राजस्थान में भारत–पाक युद्ध (1971) के समय मुख्यमंत्री– **बरकतुल्ला खान** (पद पर रहते हुए मृत्यु)
- राजस्थान में 1975 के **आपातकाल** के समय मुख्यमंत्री– **हरिदेव जोशी**
- राजस्थान में प्रथम अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री– **जगन्नाथ पहाड़िया**
- राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे–
  1. **हरिदेव जोशी** 2. **मोहनलाल सुखाड़िया**
  3. **जगन्नाथ पहाड़िया** 4. **शिवचरण माथुर**
- मुख्यमंत्री जो राजस्थान **प्रशासनिक सुधार आयोग** के अध्यक्ष रहे– **शिवचरण माथुर**
- मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे– **1. जय नारायण व्यास** **2. भैरोंसिंह शेखावत** **3. भजनलाल शर्मा**
- वह मुख्यमंत्री जिसके कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया– **भैरोंसिंह शेखावत (2 बार)**
- वे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त विधायक नहीं थे– **भैरोंसिंह शेखावत (1977), जगन्नाथ पहाड़िया (1980) व अशोक गहलोत (1998)**
- मुख्यमंत्री जिसे एक राज्यपाल द्वारा दो बार शपथ दिलवायी गयी–**मोहनलाल सुखाड़िया** (राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा)

3 राज्य विधानमण्डल

राज्य विधानमण्डल (The State Legislature) (भाग–6 अनुच्छेद–168–212)

- केन्द्र में संसद के समान **राज्य की विधायिका/व्यवस्थापिका** को विधानमण्डल कहते है, जिसका उद्देश्य है राज्य में कानून निर्माण करना।
- राजस्थान में **सर्वप्रथम बीकानेर रियासत** द्वारा विधानसभा के गठन हेतु प्रयास किया गया था।

✦ अनुच्छेद–168– राज्यों के विधानमण्डलों का गठन

✦ **अनुच्छेद–168(1)**– प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा, जो **राज्यपाल, विधानसभा** व **विधानपरिषद्** से मिलकर बनेगा।

➢ **(क)** जिन राज्यों में **2 सदन** हैं वहाँ **राज्यपाल, विधानसभा व विधानपरिषद् से मिलकर विधानमण्डल** का गठन होगा।

➢ **(ख)** जिन राज्यों में **1 सदन** है वहाँ **राज्यपाल** और **विधानसभा** से मिलकर विधानमण्डल का गठन होगा।

☞ **नोट**– वर्तमान में केवल **6 राज्यों** में ही **द्वि–सदनात्मक विधानमण्डल** (बाइकैमरल) है। राजस्थान सहित शेष **22 राज्यों** में एक सदनात्मक विधानमण्डल (यूनीकैमरल) है, जिसमें केवल **एक सदन** (विधानसभा) है।

✦ **अनुच्छेद 168(2)**– किसी राज्य के विधानमण्डल के **2 सदन** है वहाँ एक सदन का **नाम विधानपरिषद्** और दूसरे का नाम **विधानसभा** होगा तथा जिस राज्य में केवल **एक सदन** है, उसका नाम **विधानसभा** होगा।

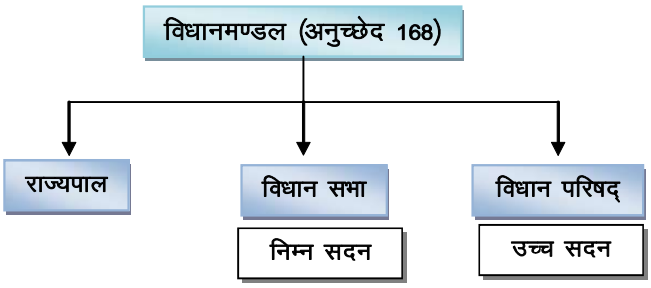

✦ अनुच्छेद 172– राज्यों के विधानमण्डलों का कार्यकाल

✦ **अनुच्छेद 172(1)**– प्रत्येक राज्य की विधानसभा का सामान्यतः कार्यकाल अपने **प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक** होता है तथा इस अवधि की समाप्ति पर **विधानसभा स्वतः ही विघटित** हो जाती है।

- **राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से** समय से पहले विधानसभा को **विघटित** कर सकता है।
- परन्तु **राष्ट्रीय आपातकाल** के समय संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में **एक वर्ष तक** बढ़ा सकती है लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार **6 माह** की अवधि से अधिक नहीं होगा।
- आपातकाल समाप्त होने के बाद **6 माह के अन्दर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन करवाना अनिवार्य** है।

✦ **अनुच्छेद 172(2)**– राज्य **विधानपरिषद् का विघटन नहीं** होता है, लेकिन उसके सदस्यों में से **एक तिहाई (1/3) सदस्य** संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार प्रत्येक **द्वितीय वर्ष** की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

- विधानपरिषद् के सदस्यों का **कार्यकाल 6 वर्ष** होता है।

✦ अनुच्छेद 173– विधानमण्डल की सदस्यता के लिए अर्हताएँ

- किसी राज्य में विधानमण्डल का सदस्य बनने के लिए संविधान में निम्न योग्यताएँ (अर्हताएँ) निर्धारित की गई है–

➢ **(क)**– वह **भारत का नागरिक** होना चाहिए।

➢ **(ख)**– विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम **25 वर्ष** की आयु तथा विधानपरिषद् के सदस्य बनने के लिए कम से कम **30 वर्ष** की आयु पूर्ण हो।

➢ **(ग)**– उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हो, जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन हो।

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 के तहत संसद द्वारा निम्नलिखित अर्हताएँ (योग्यताएँ) निर्धारित की गई है–**

1. विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति उस **राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता** भी होना चाहिए।
2. विधानपरिषद् में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति **विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो** और उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए उस राज्य का निवासी होना चाहिए।
3. यदि कोई व्यक्ति **अनुसूचित जाति** या **जनजाति** की सीट के लिए चुनाव लड़ता है तो वह **अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना** चाहिए।

✦ अनुच्छेद 188– सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

- राज्य की विधानसभा या विधानपरिषद् का **प्रत्येक सदस्य** अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, **राज्यपाल** या उसके द्वारा **नियुक्त व्यक्ति के समक्ष**, **तीसरी अनुसूची** के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

राजस्थान विधानसभा की समितियाँ

✦ समितियाँ– (अध्याय–24)

- विधानसभा की समितियों को **मुख्य रूप से 2 भागों** में बांटा गया है– 1. **तदर्थ समितियाँ** 2. **स्थायी समितियाँ**

1. **तदर्थ समितियाँ**– किसी विधेयक के प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा के लिए गठित प्रवर समिति तथा **सदन द्वारा** किसी प्रकरण के संबंध में गठित किसी प्रकार की जाँच समिति को **तदर्थ समिति** कहा जाता है।
2. **स्थायी समितियाँ**– स्थायी समितियाँ **सभी विधानमण्डलों में** नियमित रूप से गठित की जाती है।

- राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन में सहायता के लिए **22 समितियों** की व्यवस्था की गई है, जिसमें **4 वित्तीय समितियाँ, 17 स्थायी समितियाँ** व **1 अस्थायी समिति** है।

➢ राजस्थान में विधानसभा की **4 वित्तीय समितियाँ** है तथा प्रत्येक समिति में **15 सदस्य** होते हैं। समितियों के सभापति **विधानसभा के अध्यक्ष** द्वारा नियुक्त किये जाते है। समितियाँ अपना **प्रतिवेदन** विधानसभा को प्रस्तुत करती है।

➢ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष **कार्य सलाहकार समिति**, **नियम समिति** व **सामान्य उद्देश्य समिति** के पदेन अध्यक्ष होता है।

वित्तीय समितियाँ

(1) लोक/जन लेखा समिति

- **गठन– मार्च 1953**
- **अधिकतम सदस्य–** 15, **कार्यकाल–** 1 वर्ष
- **अध्यक्ष–** विपक्ष दल का सदस्य।
- यह समिति सदन द्वारा एकल **संक्रमणीय मत** द्वारा निर्वाचित की जाती है।
- यह समिति राज्य के व्यय के लिए **सदन द्वारा** अनुदत राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों, राज्य के वार्षिक वित्त लेखों और सदन के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखों की **जाँच** करती है, जिन्हें वह ठीक समझे।
- यह **समिति** राज्य के विनियोग लेखों तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करती है।
- किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए **सदन द्वारा** अनुदत राशि से अधिक धन व्यय किया गया हो तो ऐसे मामलों की **जाँच** समिति करती है।
- अध्यक्ष किसी भी समय इसकी पदावधि को **6 माह** तक बढ़ा सकता है।

(2) प्राक्कलन समिति 'क'

- कार्यकाल– **1 वर्ष,** अधिकतम सदस्य– **15**
- प्राक्कलन समिति **क** व **ख** का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचिन किया जाता है।
- **अध्यक्ष** या **सदन** किसी भी समय भिन्न–भिन्न समितियों में अलग–अलग विभागों से संबंधित प्राक्कलनों के पारस्परिक बंटवारे में **परिवर्तन** कर सकता है।
- इस समिति को **17 विभागों** से संबंधित परीक्षण करने का दायित्त्व सौंपा गया है।
- इसमें **उद्योग एवं खनन**, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्त, शिक्षा, **विधि एवं न्याय**, आबकारी एवं कर, **वन, ऊर्जा** आदि विभाग आते हैं।

(3) प्राक्कलन समिति 'ख'

- इस समिति को **16 विभागों** से संबंधित परीक्षण करने का दायित्त्व सौंपा गया है।
- इसमें राजस्व, सहकारिता, पशुपालन, सिंचाई, खाद एवं नागरिक आपूर्ति, जन–स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी आदि विभाग आते हैं।

(4) राजकीय उपक्रम समिति

- **गठन– अप्रैल 1968**
- यह समिति सदन द्वारा **एकल संक्रमणीय मत** द्वारा निर्वाचित की जाती है।
- इस समिति में अधिकतम **15 सदस्य** होते हैं।
- यह समिति **राजकीय उपक्रमों** के प्रतिवेदनों और लेखों का परीक्षण करती है।
- इस समिति को **36** राजकीय उपक्रम निर्दिष्ट किए गए हैं।

❖ अन्य समिति–

➢ कार्य सलाहकार समिति

- **गठन– 1952**
- इस समिति के सदस्य **अध्यक्ष द्वारा** मनोनीत की जाती है। इसमें सभापति सहित अधिकतम **15 सदस्य** होते हैं।
- **अध्यक्ष** इस समिति का **पदेन सभापति** होता है।
- यह समिति विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा सरकारी या अन्य कार्यों पर **चर्चा के लिए समय के बंटवारे** की सिफारिश करती है।

➢ **सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति–** इस समिति में **सदस्यों की संख्या** पूर्व निर्धारित नहीं होती।

संसद में राजस्थान

- **प्रथम लोकसभा चुनाव 1952** के समय राजस्थान में लोकसभा की **22 सीटें** थी तथा **छठे लोकसभा चुनाव (1977)** में लोकसभा सदस्यों की **सीटें बढ़ाकर 25 कर दी गई।**
- **1952** के राज्यसभा चुनाव में राजस्थान में **9 सीटें** थी। **1960** में राज्यसभा सीटों की **संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई,** जो वर्तमान तक है। **(REET L-1 2017)**
- राजस्थान में **वर्तमान लोकसभा की सीटें 25** हैं, जिसमें **4 अनुसूचित जाति** और **3 अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित है।
- राजस्थान राज्य से **25 लोकसभा सीटों** पर चुनाव करवाया जाता है, जिनमें से कुछ सीटों पर एक से अधिक जिलों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है।
- संसद के दोनों सदनों में कुल **35 सदस्य/सांसद** (25+10) राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाले व्यक्ति– **नाथूराम मिर्धा** (6बार, नागौर, 1971 से 1997 तक)
- राजस्थान से प्रथम लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने– **बलराम जाखड़** (सीकर से सांसद)

☞ **ध्यान रहे**– बलराम जाखड़ 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनका कार्यकाल लगभग 9 वर्ष 329 दिन का रहा। लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान ये पहली बार **पंजाब** (फिरोजपुर) से तथा दूसरी बार राजस्थान **(सीकर)** से लोकसभा सांसद थे।

- राजस्थान से दूसरे लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने– **ओम बिड़ला** (कोटा–बूँदी से सांसद)
- ओम बिड़ला लगातार **दूसरी बार** लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ये 18 वीं लोकसभा में 26 जून 2024 को ध्वनिमत से कांग्रेस के **के. सुरेश** को पराजित कर लोकसभा अध्यक्ष बने हैं।
- राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल होने वाले प्रथम लोकसभा सदस्य– **कालूलाल श्रीमाली (कैबिनेट मंत्री)**
- राजस्थान से प्रथम लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशी **शारदा बाई** और **रानी देवी** ने चुनाव लड़ा, लेकिन विजयी नहीं हो पाई।
- राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद– **महारानी गायत्री देवी**
- राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद– **सुशीला बंगारू (जालौर)**
- राजस्थान से अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद– **उषा देवी मीणा**
- राजस्थान से केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में शामिल होने वाली प्रथम महिला सांसद– **डॉ. गिरिजा व्यास** (सूचना एवं प्रसारण उपमंत्री, उदयपुर से सांसद)
- राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला– **वसुंधरा राजे** (5 बार)
- राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति– **रामनिवास मिर्धा (4 बार), जसवंत सिंह (4 बार)**
- राजस्थान से प्रथम महिला राज्यसभा सांसद– **शारदा भार्गव**
- राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाली महिला– **शारदा भार्गव**
- राजस्थान से वर्तमान में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में 4 सांसद शामिल हैं–

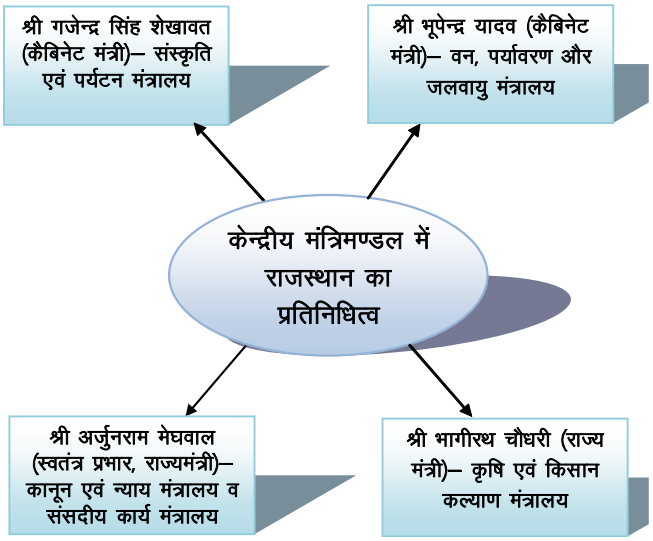

☞ **नोट**– श्री अश्विनी वैष्णव मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के **जीवनंद कलां गाँव** के निवासी थे, लेकिन बाद में इनका परिवार जोधपुर में रहने लगा और वर्तमान में ये **उड़ीसा** से **राज्यसभा सांसद** हैं तथा वर्तमान में इनके पास केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है।

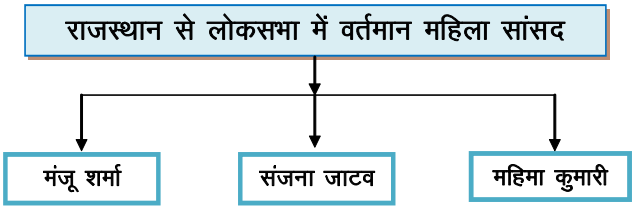

5 राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव

मुख्य सचिव

- मुख्य सचिव का पद 1799 में तत्कालीन **गर्वनर जनरल लॉर्ड वेलेजली** द्वारा सृजित है तथा **जी.एस. बार्लो** (जॉर्ज हिलेरी बार्लो) को ब्रिटिश भारत का **प्रथम मुख्य सचिव** बनाया गया।
- प्रशासनिक **सुधार आयोग** की सिफारिश पर **वर्ष 1973** में इस पद का मानकीकरण किया गया।
- **13 अप्रैल 1949** को राजस्थान के **प्रथम मुख्य सचिव** **के. राधाकृष्णन** बने। ये केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव थे।
- नवम्बर 1956 के संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की **श्रेणियाँ समाप्त** कर दी गई। अतः मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाने लगी। वर्ष 1958 में राज्य सरकार द्वारा **भगत्त सिंह मेहता** को **प्रथम मुख्य सचिव** नियुक्त किया गया।
- मुख्य सचिव शासन सचिवालय का **मुखिया या कार्यकारी प्रमुख** होता है।
- मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के **शीर्ष पद** पर होता है।
- मुख्य सचिव राज्य का **सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी** होता है तथा इसका नियंत्रण सचिवालय के सभी विभागों पर होता है।
- मुख्य सचिव का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।
- यह **सचिवों का मुखिया** होता है।
- मुख्य सचिव राज्य **सिविल सेवाओं का अध्यक्ष** होता है।
- मुख्य सचिव को **अवशिष्ट वसीयतदार** कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सचिव को आवंटित नहीं किये जाने वाले कार्य उसके द्वारा ही किये जाते हैं।
- राज्य की **नौकरशाही व्यवस्था का प्रमुख मुख्य सचिव** होता है।
- मुख्यमंत्री के सपनों को साकार रूप देने वाला **शिल्पी** मुख्य सचिव होता है।
- वर्ष 1973 से मुख्य सचिव को सभी राज्यों में **वरिष्ठतम लोकसेवक** माना जाता है।

- **एस.आर. माहेश्वरी** के अनुसार मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन का **'किंग पिन'** (धूरी) कहते हैं।
- मुख्य सचिव, राज्य प्रशासन का **'किंग पिन'** होता है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण, समन्वय तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- मुख्य सचिव के कार्यों और शक्तियों का उल्लेख 'सरकारी कार्य नियमावली' (रूल्स ऑफ बिजनेस) में दिए गए हैं।

❖ मुख्य सचिव का चयन

- मुख्य सचिव की नियुक्ति **मुख्यमंत्री** करता है।
  जिसके निम्न आधार है–
- **भारतीय प्रशासनिक सेवा** (IAS) का वरिष्ठ अधिकारी।

☞ **नोट**– भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी की वरीयता क्रम को प्रथम बार मुख्य सचिव मीठालाल मेहता की नियुक्ति के समय तोड़ा गया।

- प्रशासनिक पद पर कार्य का अनुभव।
- मुख्यमंत्री का **विश्वासपात्र अधिकारी** ।
- आकर्षक व्यक्तित्त्व।

☞ **नोट**– मुख्य सचिव का कार्यकाल **मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यन्त** पर निर्भर करता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। (सामान्यतः 60 वर्ष तक)

➢ पद से हटाना

- मुख्य सचिव को **मुख्यमंत्री द्वारा** पद से हटाया जा सकता है।

❒ मुख्य सचिव के कार्य व भूमिका

1. मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में

- मुख्य सचिव राज्य का **सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी** तथा मुख्यमंत्री का **परामर्श दाता** होता है।
- मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सचिवों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- मुख्य सचिव, राज्य के मंत्रियों के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित प्रशासनिक बाधाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को देता है।

2. मंत्रिपरिषद् के सचिव के रूप में

- मुख्य सचिव, **राज्य मंत्रिपरिषद्** का पदेन सचिव होता है।
- मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
- मंत्रिमण्डल का सदस्य न होते हुए भी उसकी **बैठकों में भाग** लेता है।
- मुख्य सचिव, कैबिनेट और इसकी **उप–समितियों** की बैठकों में भाग लेता है।
- मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवाहियों का रिकॉर्ड भी रखता है तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करता है।

6 संभाग व जिला प्रशासन व्यवस्था

❖ संभागीय व्यवस्था

- संभाग ऐसी **प्रशासनिक ईकाई** है जो कई जिलों का प्रशासन संभालने के साथ–साथ उन जिलों व राज्य सचिवालय के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत **5 संभागों** (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा) के साथ **30 मार्च, 1949** को हुई तथा वर्तमान में **29 दिसम्बर, 2024** की अधिसूचना के अनुसार **7 संभाग** (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उयदपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर) व **41 जिले** बना दिए गए हैं।

☞ **नोट– अशोक गहलोत** सरकार ने **07 अगस्त, 2023** को **03 नए संभागों** (पाली, सीकर, बाँसवाड़ा) का गठन किया, जिसे **29 दिसम्बर, 2024** को एक **अधिसूचना द्वारा भजनलाल सरकार** ने वापस ले लिया।

- 30 मार्च, 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री के समय हुई, जिसे 24 अप्रैल, 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा बंद कर दिया गया तथा इसे 26 जनवरी, 1987 को हरिदेव जोशी द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया।

✦ संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner)

- बंगाल के गर्वनर जनरल **लार्ड विलियम बैंटिक** द्वारा जिला कलेक्टरों पर निगरानी हेतु **1829 में संभागीय आयुक्त** का पद सृजित किया।
- संभागीय आयुक्त **संभाग का प्रशासनिक प्रमुख** होता है।
- संभागीय आयुक्त की नियुक्ति **राज्य सरकार** द्वारा की जाती है तथा इनका **कार्यकाल निश्चित नहीं** होता है।
- ये **भारतीय प्रशासनिक सेवा** (आई.ए.एस) का अधिकारी होता है।
- संभागीय आयुक्त की सहायता के लिए **एक अतिरिक्त संभागीय आयुक्त नियुक्त** किया जाता है, जो **राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी** होता है।
- यह **जिला कलेक्टर** व **मुख्य सचिव** के मध्य कड़ी का कार्य करता है।
- यह राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है।

✦ संभागीय आयुक्त के कार्य

- भू–राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई करना।
- संभाग में संचालित योजनाओं को लागू करवाना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण करना।
- अधीनस्थ जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण एवं उनके कार्यों में तालमेल बिठाना तथा संभाग स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निगरानी व जाँच आदि करना।
- जिला प्रशासन पर नियंत्रण करना।

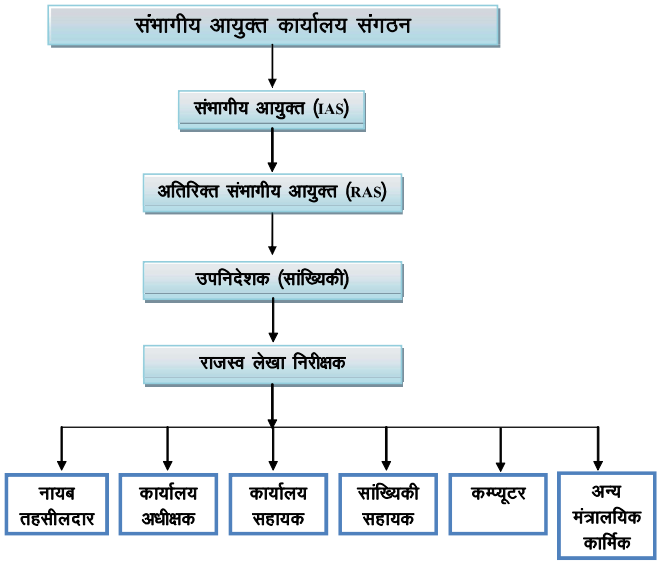

❖ जिला प्रशासन

- प्रशासन को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए इसे देश, प्रांत, जिला, तहसील, पंचायत समिति, **ग्राम पंचायत** एवं वार्ड में विभाजित किया गया है।
- District शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के Districtus से मानी जाती है। जिसका अर्थ है **'न्यायिक प्रशासन'**
- गर्वनर जनरल **वारेन हेस्टिंग्स** के कार्यकाल में भारत में **पहली बार 1772 ई.** में **कलेक्टर** का पद सृजित हुआ। जिसे 1773 में समाप्त कर दिया गया तथा 1781 में पुनः सृजित किया गया।
- वर्ष 1787 में जिला कलेक्टर को राजस्व संग्रहण के साथ दण्डनायक (मजिस्ट्रेट) की शक्तियाँ दी गई।
- **अनुच्छेद 233** के अंतर्गत भारतीय संविधान में **जिला शब्द** का प्रयोग **जिला न्यायाधीशों** की नियुक्ति के संदर्भ में किया गया है।

✦ जिला प्रशासनिक इकाई के प्राचीन रूप –

- जिले के लिए **वैदिक काल** में **विश** शब्द तथा इसके प्रमुख को **'विशपति'** कहा गया है।
- जिले के लिए **मौर्यकाल** में **जनपद** शब्द तथा इसके प्रमुख को **'राजुका'** कहा गया है। (जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम नजर आया)
- जिले के लिए **गुप्तकाल** में **विषय** शब्द तथा इसके प्रमुख को **'विषयपति'** कहा गया है।
- जिले के लिए खिज्र खाँ सैयद के काल में **शिक** शब्द मिलता है।
- जिले के लिए शेरशाह सूरी के काल में **सरकार** शब्द तथा इसका प्रमुख **'शिकदार–ए–शिकदारान'** कहलाता था।

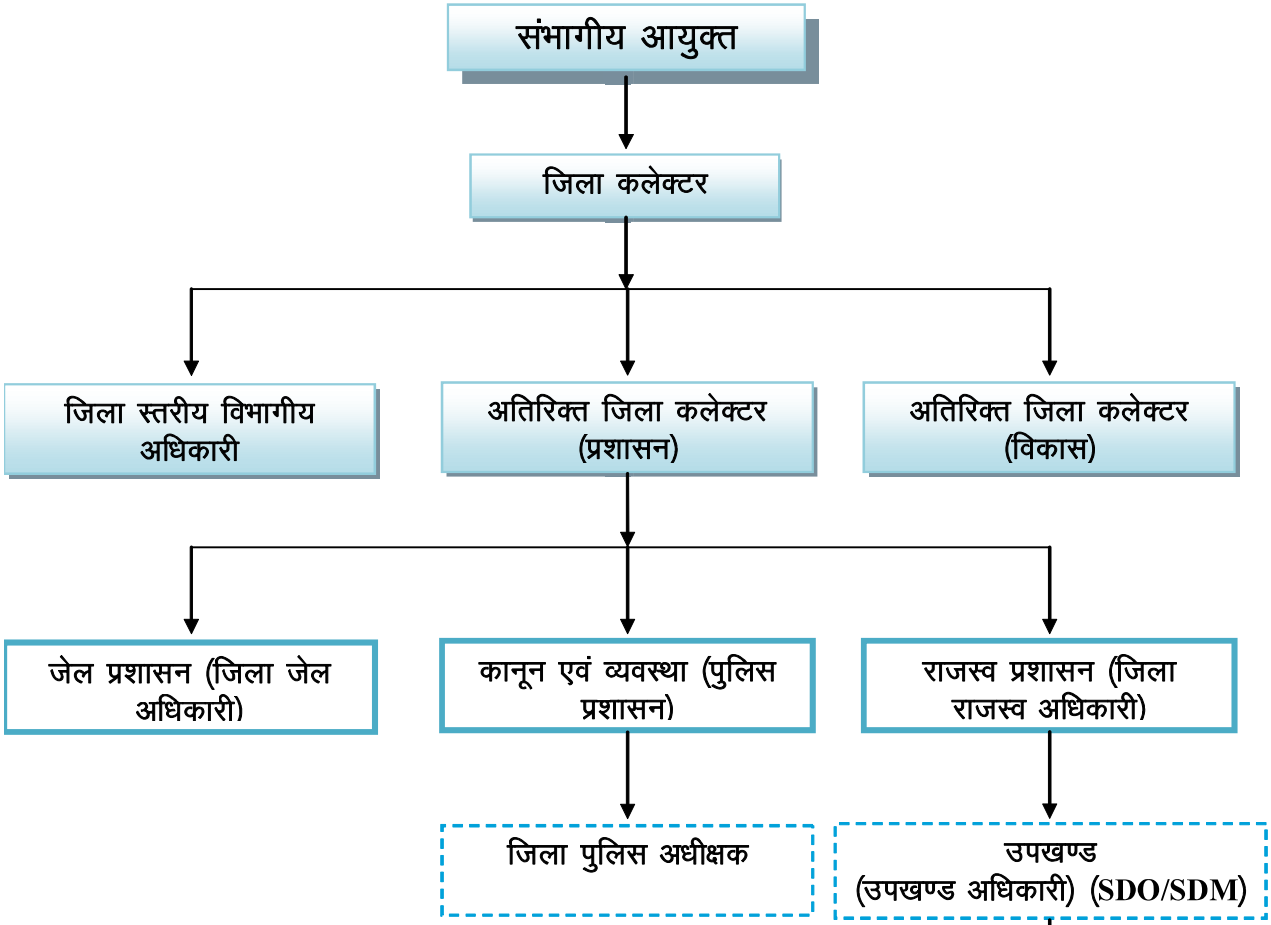

➢ **पटवारी के मुख्य कार्य–**

- **भू–राजस्व का संग्रहण** करना।
- **गिरदावरी रिपोर्ट** तैयार करना।
- जन्म–मृत्यु का लेखा–जोखा रखना।
- **सरकारी संपत्ति की निगरानी** रखना।
- **मतदाता सूची तैयार** करने में सहयोग करना।

✦ **ग्राम विकास अधिकारी (VDO)**

- ग्राम विकास अधिकारी ही **ग्राम पंचायत का सचिव** होता है।
- राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994 के अनुसार **प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव** होगा।

➢ **ग्राम विकास अधिकारी के प्रमुख कार्य–**

- ग्राम पंचायतों की **बैठकों के नोटिस, एजेण्डा व अनुपालना संबधित कार्य करना।**
- **करों व फीस संबंधी** कार्यवाही करना।
- **बजट एवं लेखा** संबंधी कार्य करना।
- निर्माण कार्य संबंधित कार्यवाही करना।

➢ **राजस्थान राजस्व मण्डल–**

- मुख्यालय– अजमेर
- स्थापना– 1 नवम्बर, 1949
- मुख्य कार्य– राजस्व सम्बन्धी वादों का भय एवं पक्षपात रहित होकर उच्चतम स्तर पर निर्णय करना।

7 पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन

❖ स्थानीय लोगों द्वारा स्वशासन की व्यवस्था को **स्थानीय स्वायत्त शासन** कहते हैं जिसके **दो स्तर** है–

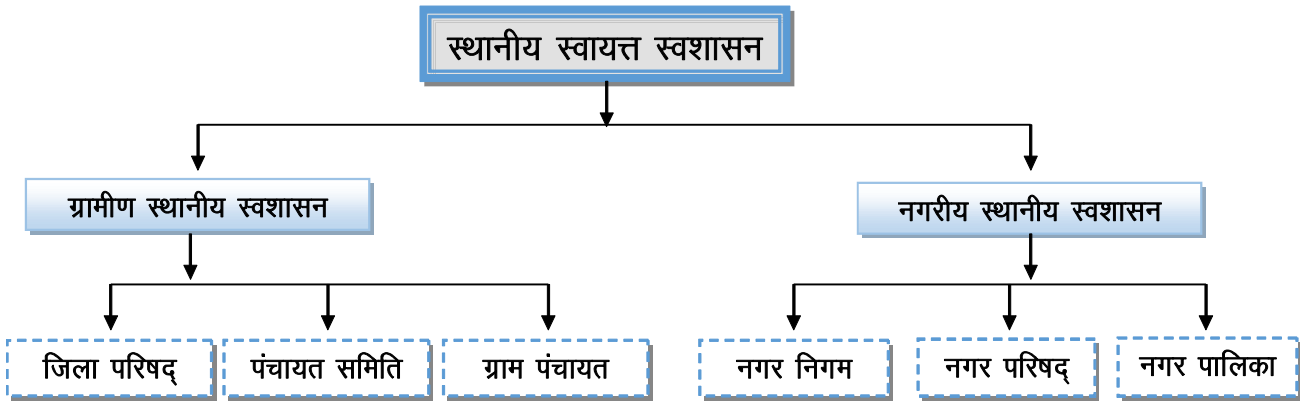

- स्थानीय स्वशासन के लिए प्रथम प्रयास **लॉर्ड मेयो** ने **1870** में किया।
- 1882 को **लॉर्ड रिपन** ने **स्थानीय स्वशासन** का प्रस्ताव पारित करवाया। रिपन के इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वायत्त शासन का **'मेग्नाकार्टा'** भी कहा जाता है। रिपन को **भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक** कहते है।
- **1935 के अधिनियम** द्वारा स्थानीय स्वशासन को **राज्य (प्रांतीय) सूची का विषय** बना दिया। जो वर्तमान में भी **राज्य सूची** का विषय है।
- आजादी से पूर्व राजस्थान में **सर्वप्रथम 1928** को **बीकानेर** रियासत में **ग्राम पंचायत** अधिनियम बनाया गया।
- उसके बाद जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, भरतपुर व करौली में पंचायत अधिनियम बनाये गये।
- भारतीय संविधान के **भाग–4** (राज्य के नीति–निदेशक तत्त्व) के **अनुच्छेद–40** में **ग्राम पंचायतों के संगठन** से संबंधित प्रावधान है।
- सम्पूर्ण पंचायतीराज **महात्मा गांधी** को समर्पित है। यह उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्तरूप देता है। जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक '**My Picture of Free India**' में किया गया।
- वर्ष **1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम** तथा **1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का** प्रारम्भ किया गया, लेकिन ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाये।
- राजस्थान में पंचायतीराज विभाग की स्थापना 1949 में हुई।
- **सम्पूर्ण राज्य में पंचायतों के गठन** एवं **संचालन** के लिए **राजस्थान पंचायत अधिनियम–1953** **(REET L-2 (English) 2023)** पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत राज्यभर में **पंचायतों की स्थापना** की गई।
- राजस्थान में सर्वप्रथम **पंचायत अधिनियम–1953** में बनाया गया।
- वर्ष 1959 में राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम–1959 पारित कर लागू किया गया।
- पण्डित **जवाहर लाल नेहरू** ने पंचायतीराज को **'लोकतंत्र की पाठशाला'** कहा। **1952** के सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा **1953** के राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों का परीक्षण, निरीक्षण एवं बेहतर परिणाम प्राप्त करने के सुझाव एवं सिफारिश के लिए जनवरी **1957** में **बलवंत राय मेहता समिति** का गठन किया गया था।
- **बलवंतराय मेहता समिति** ने **24 नवम्बर, 1957** को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें **त्रिस्तरीय** पंचायतीराज के गठन की सिफारिश की।
- बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर **2 अक्टूबर, 1959** को नागौर के **बगदरी गांव** में देश की पहली पंचायत की नींव रखी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन **प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू** ने किया, इस दौरान राजस्थान के **मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया** तथा **राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह** थे। इस प्रकार राजस्थान **देश का पहला** राज्य बन गया जहाँ **पंचायतीराज** की शुरूआत की गई।
- राजस्थान में पंचायतीराज की शुरुआत **द्वितीय पंचवर्षीय योजना** के अन्तर्गत की गई।
- राजस्थान के बाद देश का दूसरा राज्य **आंध्रप्रदेश** था

❖ भारत सरकार द्वारा गठित पंचायती राज से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समितियाँ एवं उनकी सिफारिशें

✦ बलवन्त राय मेहता समिति– (1957)

- इसका **गठन जनवरी 1957** में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय योजना आयोग द्वारा किया गया।
- यह पंचायती राज पर गठित प्रथम समिति थी।
- इसके **अध्यक्ष बलवंत राय मेहता** थे। जिन्हें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जनक माना जाता है। अर्थात् इन्हें **पंचायतीराज व्यवस्था का वास्तुकार** (शिल्पी) कहा जाता है।

नगरीय स्वशासन

- भारत में **शहरी स्वशासन** का रूप **नगरीय शासन** के नाम से भी जाना जाता है।
- राजस्थान में प्रथम नगर पालिका– **माउंट आबू (1864)**
- इसके बाद 1866 में **अजमेर,** 1867 में **ब्यावर** तथा 1869 में **जयपुर** में नगरपालिकाओं की स्थापना हुई।
- एकीकरण के समय राजस्थान में **7 जिला बोर्ड,** एक नगर निगम (उदयपुर) तथा **136 नगरपालिकायें** कार्यरत थी।
- राजस्थान में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना– **1950**
- राजस्थान में स्थानीय निकाय निदेशालय का मुख्यालय– **जयपुर**
- वर्तमान में नगरीय स्वशासन **राज्य सूची** का विषय है। (भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत)

अनुच्छेद	उल्लेख
अनुच्छेद–243 (त) P	परिभाषाएँ
अनुच्छेद–243 (थ) Q	नगरपालिका का गठन
अनुच्छेद–243 (द) R	नगरपालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद–243 (ध) S	वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
अनुच्छेद–243 (न) T	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद–243 (प) U	नगरपालिकाओं की अवधि
अनुच्छेद–243 (फ) V	सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
अनुच्छेद–243 (ब) W	नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद–243 (भ) X	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद–243 (म) Y	वित्त आयोग
अनुच्छेद–243 (य) Z	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा (अंकेक्षण)
अनुच्छेद–243 (य क) ZA	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद–243 (य ख) ZB	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद–243 (य ग) ZC	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद–243 (य घ) ZD	जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद–243 (य ड) ZE	महानगर योजना के लिए समिति
अनुच्छेद–243 (य च) ZF	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
अनुच्छेद–243 (य छ) ZG	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

- वर्ष 1989 में राजीव गाँधी सरकार द्वारा **65वें संविधान संशोधन** के माध्यम से नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह संशोधन **राज्यसभा** से पारित नहीं हो पाया था।
- नगरीय इकाइयों को **74वें संविधान संशोधन, 1992** द्वारा संवैधानिक दर्जा **प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव** के समय दिया गया तथा यह अधिनियम **1 जून, 1993** से प्रभावी हुआ।
- 74वां संविधान संशोधन 1992 राजस्थान में लागू–**9 अगस्त, 1994**
- **74वें** संविधान संशोधन–1992 के द्वारा संविधान में एक नया **भाग–9(क)** जोड़ा गया, जिसमें **अनुच्छेद–243 (P)** से **243 (ZG)** तक (कुल 18 अनुच्छेद) तथा **अनुसूची–12** (18 विषय) जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं से संबंधित है।

✦ अनुच्छेद–243त(P)– परिभाषाएँ

- इस अनुच्छेद में समिति, जिला, महानगर क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र, जनसंख्या आदि की परिभाषाएँ उल्लेखित हैं।
- **महानगर क्षेत्र**– इसमें **10 लाख** या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं और जो दो या दो से अधिक नगरपालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा जिसे **राज्यपाल** इस भाग के प्रयोजनों के लिए, **लोक अधिसूचना द्वारा,** महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

✦ अनुच्छेद–243थ(Q)– नगर पालिकाओं का गठन

✦ **अनुच्छेद–243थ(1)**– प्रत्येक राज्य में **त्रिस्तरीय** नगरपालिकाओं की संरचना का उपबंध है।

➢ **(क)– नगर पंचायत** (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) किसी भी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात् जो **ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित** हो रहा हो।

➢ **(ख)– नगरपालिका परिषद्**– छोटे या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए।

➢ **(ग)– नगर निगम**– किसी बड़े या वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए।

- परन्तु इस अनुच्छेद के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी। जिसे **राज्यपाल, औद्योगिक नगरी** के रूप में विनिर्दिष्ट करे।

✦ **अनुच्छेद–243थ(2)**– किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका, नगरपरिषद्, नगर निगम का दर्जा **राज्यपाल द्वारा** अधिसूचना जारी करके दिया जाता है।

8 प्रमुख आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग

- भारत में **सर्वप्रथम 1919** के शासन अधिनियम द्वारा **सन् 1926** में लोक सेवा आयोग (मेरिट पद्धति का वॉच डॉग) की स्थापना हुई।
- राजस्थान राज्य गठन के समय कुल **22 प्रान्तों** में से केवल **3 प्रान्तों** (जयपुर, जोधपुर व बीकानेर) में लोक सेवा आयोग गठित थे।
- राजस्थान में **सर्वप्रथम** लोक सेवा आयोग का गठन **जोधपुर (1939)** में किया गया। इसके पश्चात् **जयपुर (1940)** व **बीकानेर (1946)** लोक सेवा आयोगों की स्थापना हुई।
- रियासतों के विलय के बाद **16 अगस्त, 1949** को राजस्थान के राजप्रमुख (सवाई मानसिंह द्वितीय) द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु 28वाँ अध्यादेश (Ordinance) जारी किया गया, जिसका राजपत्र में प्रकाशन **20 अगस्त, 1949** को हुआ।
- **16 अगस्त, 1949** को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोकसेवा आयोग समाप्त कर दिये गये।
- **22 दिसम्बर, 1949** को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग की **धारा–1(3)** के अनुसार अधिसूचना का प्रकाशन किया गया तथा **22 दिसम्बर, 1949** को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।
- आयोग के प्रारम्भ के समय **एक अध्यक्ष** एवं **दो सदस्य** थे।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय मुख्यालय **जयपुर** रखा गया था, लेकिन बाद में **पी. सत्यनारायण राव कमेटी** की सिफारिश पर 21 अगस्त, 1958 को आयोग का मुख्यालय **अजमेर** स्थानांतरित कर दिया गया।
- आयोग एक **संवैधानिक संस्था** है जिसका उल्लेख संविधान के **भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323** तक किया गया है।

✦ अनुच्छेद–315– राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

➢ **अनुच्छेद–315 (1)**– प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।

➢ **अनुच्छेद–315 (2)– संयुक्त लोक सेवा आयोग** (दो या दो से अधिक राज्यों के लिए **विधानमण्डल** के प्रस्ताव द्वारा संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है।)

✦ अनुच्छेद–316– सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल

➢ **अनुच्छेद– 316 (1)**– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्यों** की **नियुक्ति** **राज्यपाल** द्वारा की जाती है।

- परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से **आधे सदस्य** ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के **अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक** पद धारण कर चुके हैं।
- **अनुच्छेद– 316 1(क)**– यदि आयोग के **अध्यक्ष का पद रिक्त** हो या अध्यक्ष की **अनुपस्थिति** के कारण या **अन्य कारण** से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो **राज्यपाल** आयोग के **अन्य सदस्यों** में से किसी एक सदस्य को **अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त** कर सकता है जब तक **अध्यक्ष पुनः पद ग्रहण नहीं** कर ले।

☞ **नोट– 15वें** संविधान संशोधन 1963 की **धारा–11** द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 316(1क)** को जोड़ा गया।

➢ **अनुच्छेद–316 (2)**– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्यों** का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से **6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले** हो, तक अपना पद धारण करेंगे।

☞ **नोट– 41वें संविधान संशोधन 1976** की **धारा–2** के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा **60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर** दी गई है।

☞ **ध्यान रहे**– संयुक्त लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष** व **सदस्यों** का कार्यकाल **6 वर्ष या 62 वर्ष** जो भी पहले हो, होता है।

- **अनुच्छेद–316 2(क)**– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष व सदस्य** **राज्यपाल** **को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर** सहित पत्र द्वारा अपना **पद त्याग** कर सकते हैं।

☞ **ध्यान रहे**– राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को प्राप्त है।

✦ अनुच्छेद–317– अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाया जाना

➢ **अनुच्छेद–317(1)**– राज्य लोक सेवा आयोग के **अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर** **राष्ट्रपति** हटा सकता है, परन्तु ऐसे मामले में **राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय** द्वारा **अनुच्छेद 145** के अधीन प्रक्रिया के अनुसार की गई **जाँच की रिपोर्ट के बाद** हटा सकता है।

राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची		
क्र.सं.	नाम	कार्यकाल
1.	अमरसिंह राठौड़	01 जुलाई, 1994 से 30 मार्च, 2000
2.	नेकराम भसीन	01 जुलाई, 2000 से 10 अगस्त, 2002
3.	इन्द्रजीत खन्ना	26 दिसम्बर, 2002 से 26 दिसम्बर, 2007
4.	अशोक कुमार पाण्डे	01 अक्टूबर, 2008 से 30 सितम्बर, 2013
5.	रामलुभाया	01 अक्टूबर, 2013 से 02 अप्रैल, 2017
6.	प्रेम सिंह मेहरा	03 जुलाई, 2017 से 03 जुलाई, 2022
7.	मधुकर गुप्ता	14 अगस्त, 2022 से लगातार (REET L-2 (Maths) 2023)

राजस्थान राज्य वित्त आयोग

✦ **उद्देश्य**– राज्य वित्त आयोग **पंचायतों** की **वित्तीय स्थिति की समीक्षा** करने व राज्य की **संचित निधि** में से **पंचायतों को अनुदान** देने की सिफारिश करता है। यह करों के बंटवारे का कार्य करने के साथ **राज्यपाल** द्वारा सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है।

- यह एक **संवैधानिक निकाय** है जिसका उल्लेख पंचायती राज संस्थाओं हेतु **भाग 9**, **अनुच्छेद–243 झ(I)** तथा नगरीय संस्थाओं के लिए भाग **9 (क)**, **अनुच्छेद–243 म(Y)** में मिलता है।

✦ **अनुच्छेद 243(झ)– वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।**

➢ **अनुच्छेद 243झ(1)**– राज्य का **राज्यपाल** प्रत्येक **5 वर्ष** की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।

(क) **आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है–**

(i) राज्य द्वारा **वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों** और **फीसों** के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण की।

(ii) पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जाने वाले ऐसे **करों, शुल्कों, पथकरों** और **फीसों** के अवधारण की।

(iii) राज्य की **संचित निधि** में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।

(ख) पंचायतों की **वित्तीय स्थिति** को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में।

(ग) पंचायतों के ठोस वित्त के हित में **राज्यपाल द्वारा** वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में।

➢ **अनुच्छेद 243झ(4)– राज्यपाल** आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित **राज्य विधानमण्डल** के समक्ष रखवायेगा।

- **अनुच्छेद 243म(1)– अनुच्छेद 243(झ)** के अधीन गठित वित्त आयोग **नगर पालिकाओं** की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा।

(क) **आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है–**

(i) राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के **राज्य** और **नगर पालिकाओं** के बीच वितरण की।

(ii) **नगर पालिकाओं द्वारा** विनियोजित किए जाने वाले ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण की।

(iii) राज्य की **संचित निधि** में से नगर पालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।

(ख) नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में।

(ग) नगर पालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के हित में **राज्यपाल** द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में।

- **अनुच्छेद 243म(2)– राज्यपाल,** आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित **राज्य विधानमण्डल** के समक्ष रखवायेगा।

✦ **संरचना**– यह **5 सदस्यीय निकाय** है जिसमें **1 अध्यक्ष** व **4 सदस्य** होते हैं।

✦ **नियुक्ति**– आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति **राज्यपाल** द्वारा की जाती है।

☞ **नोट**– वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता व चयन प्रक्रिया का निर्धारण **राज्य विधानमण्डल** द्वारा किया जाता है।

✦ **कार्यकाल– 5 वर्ष** (आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है।)

✦ **त्यागपत्र**– आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र **राज्यपाल** को दे सकते हैं।

1 शिक्षण अधिगम के नवाचार

- **शैक्षिक नवाचार का अर्थ:–** ''नवाचार वह परिवर्तन है, जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करें।'' **अंग्रेजी भाषा** का **Innovation** शब्द **Innovate** शब्द से बना है जिसका अर्थ है– **नवीनता लाना (परिवर्तन लाना)**
  अतः **नवाचार का अर्थ** हुआ– 'वह परिवर्तन जो नवीनता लाये।

- **परिभाषाएँ:–** वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उत्पन्न हुई है वह **नवाचार शब्द** की ही देन है। आज **शिक्षण विधियों** एवं **शिक्षण प्रविधियों** में अनेक प्रकार के नवाचारों का समावेश हुआ है। वह शैक्षिक नवाचार को ही प्रदर्शित करता है। शिक्षा जगत में नवाचारों को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है।
  - **ई.एम.रोजर्स के शब्दों में–** नवाचार वह विचार है जिसकी प्रतीति, व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करे।
  - **एच.जी.वारनेट के शब्दों में–** नवाचार एक विचार है, व्यवहार है अर्थात पदार्थ है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है।

नवाचार की विशेषताएँ

1. नवाचार का सम्बन्ध **नवीन तकनीकी** एवं **नवीन ज्ञान** से होता है जिसका प्रयोग शिक्षक द्वारा **शिक्षण प्रक्रिया** में किया जाता है।
2. शैक्षिक नवाचारों में **क्रियाशीलता** एवं **प्रायोगिकता की प्रवृति** विद्यमान होती है।
3. शैक्षिक नवाचार का सम्बन्ध प्रमुख रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को **प्रभावी एवं रूचिपूर्ण** बनाने से है।
4. नवाचार के द्वारा वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में **सुधार लाने** का प्रयत्न किया जाता है।
5. शैक्षिक नवाचारों द्वारा **नवीन शैक्षिक तकनीकों** को विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है।
6. शैक्षिक नवाचारों में उन नवीन तकनीकी का प्रयोग है जो छात्रों के **सर्वांगिण विकास** का मार्ग प्रशस्त करती है।
7. यह **प्रयासपूर्ण** किया जाने वाला कार्य है।

शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र

- विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों द्वारा **गणित की शिक्षा, भाषा की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता,** अवंचित वर्ग को नये तरीके से शिक्षा देना शैक्षिक नवाचार के अन्तर्गत आता है। इन बिन्दुओं को प्रारंभिक कक्षाओं से ही पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए।
- **पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, लिंग भेद का निवारण, संवेदीकरण, सामाजिक समानता** के अवरोधों की समाप्ति आदि **21वीं शताब्दी** की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। इन समस्याओं के प्रति छात्र–छात्राओं को प्रारंभिक कक्षाओं से ही **संवेदनशील** बनाना अपेक्षित है जिसके लिए संकल्पना की पद्धतियों को अपनाना है।
- शिक्षा का क्षेत्र बहुत **व्यापक** है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है, वास्तव में शिक्षा बालक को **भावी जीवन** के लिए तैयार करती है तथा बालक अपना बाल्येतर जीवनकाल सुख, शान्ति व सफलतापूर्वक जीकर मानवता व **राष्ट्र के लिए** कुछ कर सके, इस अवधारणा को मजबूत करती है। बालक भविष्य के लिए तैयार है इसलिए आवश्यक है कि **भविष्य** में आने वाली समस्याओं, विधाओं व आवश्यकताओं को ध्यान रखकर नवाचार का क्षेत्र निर्धारित किया जाए।

शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षण अधिगम में सम्बन्ध

- **शिक्षण कार्य** किसी भी देश के विकास तथा उन्नति के लिए तकनीकी आधार है। शिक्षण के माध्यम से छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करने के लिए पृष्ठ पोषण के सम्प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त कर **विविध युक्तियों तथा विधियों** का उपयोग किया जाता है। अध्यापन कार्य शिक्षा में **अन्तः क्रिया विश्लेषण** एक मुख्य तत्व है। वस्तुतः अध्यापन कार्य में **अन्तःप्रक्रिया** तथा **उसका विश्लेषण** अध्ययन के साथ–साथ चलता है। इसमें शिक्षण का आधार उद्देश्य, स्तर, क्रियाएं, शिक्षण एवं शासन व्यवस्था तथा शिक्षण के स्वरूप के अनुसार होता है।
- **शिक्षण अधिगम प्रक्रिया** में शिक्षकों के अन्दर बालकों के प्रति (बालकों का अभिप्राय बालक व बालिका दोनों से है) एक पुरानी धारणा थी– बालक एक खाली घड़ा है, कोरी स्लेट है, बालक एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है आदि। इसका अभिप्राय यह था कि जब बालक विद्यालय में **प्रथम बार** नामांकन (पढ़ने) हेतु आता है तब वह कुछ नहीं जानता अर्थात् **खाली घड़ा** होता है। शिक्षक को उस खाली **घड़े में** ज्ञान भरना है। लेकिन अब यह अवधारणा **खण्डित** हो गयी है। विद्यालय में प्रथम बार नामांकन हेतु आया बालक खाली घड़ा या कोरी स्लेट नहीं है। वह अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आता है तथा **बहुत कुछ जानता** भी है। इसलिए अध्यापक से अब बच्चे के साथ खाली घड़े जैसे व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। बल्कि उसे नये प्रकार से **बालकों के प्रति सोचना** होगा और तद्नुसार **शिक्षण प्रक्रिया** को अपनाना होगा। यह बालकों के प्रति **नवाचार सोच** होगी, जिसे शिक्षा में लागू किया जा रहा है। **परम्परागत पाठ्यक्रम** में जो विषय या अवधारणा विद्यालय पाठ्यक्रम में रखने से वर्जित रहे

'हवामहल' कार्यक्रम

- **प्रारंभ**– 2 मई, 2020 को।
- **ध्येय वाक्य**– ''कोरोना समय में बच्चों का झरोखा''
- 'हवामहल' कार्यक्रम **RSCERT उदयपुर** द्वारा संचालित किया गया तथा इसमें **DIET** की सहायता ली गई।

➢ **उद्देश्य–**

1. कहानी व गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का **लर्निंग गेप** दूर करना।
2. बच्चों का उच्च **चिन्तन कौशल** विकसित करना।
3. बच्चों में **पठन–पाठन** में रूचि जाग्रत करना।

- हवामहल कार्यक्रम में **पाँच क्रियाकलाप** शुरू किये गये, क्योंकि हवामहल में **पाँच मंजिल** है। इसी के आधार पर **क्रिया–कलाप** बनाये गये, जो निम्न हैं–

1. आज की कविता
2. आज की कहानी
3. आज की किताब
4. आज की गतिविधि

☛ **ये चारों क्रियाकलाप बच्चों (3 से 14 वर्ष) के लिए है।**

5. टीचर्स कॉर्नर– शिक्षकों के लिए

☛ **नोट**– वर्तमान में हवामहल कार्यक्रम में **6 क्रिया–कलाप** चल रहे हैं–

1. **आज की कविता**
2. **आज की कहानी**
3. **आज की गतिविधि**
4. **आज की किताब**
5. **टीचर्स कॉर्नर**
6. **हमारा पुस्तकालय**

- एक टोल फ्री नम्बर दिए गए है, जिस पर **मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो।**

हवामहल कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाएँ

- यूनिसेफ
- पीरामल फाउंडेशन
- अजीज प्रेमजी फाउंडेशन
- टाटा ट्रस्ट
- प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन

- बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री को ओर बेहतर व रोचक बनाने के लिए सरकार ने तकनीकी व आर्थिक सहायता के लिए कई **NGO** से सम्पर्क किया और एक नया प्रोजेक्ट **E–कक्षा** को **SMILE** कार्यक्रम में ही शामिल किया गया।

E –कक्षा प्रोजेक्ट

- **प्रारम्भः– 15 अक्टूबर, 2020 को**
- **उद्देश्यः– BSER व CBSE** में नामांकन लेने वाले छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना।
- राजस्थान सरकार ने वेदान्ता ग्रुप व मिशन ज्ञान के साथ **MOU** किया तथा **'e–कक्षा'** प्रोजेक्ट शुरू किया।
- **कक्षा 6 से 12** के छात्रों के लिए प्रासंगिक सामग्री पढ़ाने वाले शिक्षकों के डिजिटल वीडियों का एक बैंक है। यह सामग्री **यू–ट्यूब** पर भी उपलब्ध है।

शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ

❖ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (Board of Secondary Education Rajasthan) BSER

- मुख्यालय– अजमेर में
- आदर्श वाक्य– 'सिद्धि भवति कर्मजा'।
- ✦ **4 दिसम्बर, 1957 को जयपुर** में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की स्थापना की गई।
- ✦ **जुलाई 1961** में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का **मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानान्तरित** कर दिया गया।
- ✦ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम–**1957 के अन्तर्गत** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पंजीयन करवाया गया।
- ✦ कार्यारम्भ– **1973**

➢ संगठन

1.	**अध्यक्ष**	– 01
2.	उपाध्यक्ष एवं पदेन सदस्य	– 07
	(1 उपाध्यक्ष+6 पदेन सदस्य)	
3.	**निर्वाचित सदस्य**	– 7 (1 महिला सदस्य)
4.	राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य	– 17
5.	विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य	– **02**
6.	सहवरण/सहयोजित सदस्य	– **2** कुल = 36 सदस्य

☞ **नोट**– वर्तमान समय में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार बोर्ड में कुल **36 सदस्य** है लेकिन राजस्थान के पूर्व राज्यपाल **श्री कल्याण सिंह जी** ने वर्ष 2018 में **5 नए सदस्यों** को शामिल किया, जिससे सदस्यों की संख्या 41 (सचिव सहित 42) हो गई।

- **अध्यक्ष का कार्यकाल** – **3 वर्ष**
- **3 वर्ष बाद भी पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।**
- **उपाध्यक्ष**– उपाध्यक्ष पदेन सदस्य होता है।
- निदेशक माध्यमिक शिक्षा **BSER के पदेन उपाध्यक्ष** होते है।
- **सचिव**– सचिव **RAS स्तर का अधिकारी** होता है।
- बोर्ड सचिव की **नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा** की जाती है।
- सचिव बोर्ड का **मुख्य कार्यपालक** अधिकारी होता है।
- सचिव कार्यकारिणी की बैठकों का संचालन करता है।
- बैठक के मुख्य मुद्दों का निर्धारण करता है
- बैठक में विभिन्न विषयों पर सचिव सुझाव दे सकता है, परन्तु **मतदान नहीं कर सकता।**

➢ बैठक

- BSER की बैठक **वर्ष में दो बार** आयोजित की जाती है।
- **फरवरी–मार्च** में बोर्ड की **वार्षिक बैठक** होती है।
- बैठक में गणपूर्ति **एक तिहाई (1/3) सदस्य** होने पर मानी जाती है।
- विशेष बैठक के लिए कार्यकारिणी के एक तिहाई (1/3) सदस्यों की लिखित अभियाचना आवश्यक होती है।

कैरियर परामर्श सामग्री

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित कैरियर परामर्श सामग्री 2014 से 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है।

दिशा	गार्गी	प्राइम	दृष्टि
शैक्षिक व व्यावसायिक अध्ययन सामग्री	बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना मार्गदर्शिका	निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मार्गदर्शिका	रोजगार अवसर मार्गदर्शिका

☞ **नोट**– BSER की आधिकारिक भाषा **हिन्दी** व **अंग्रेजी** हैं। बोर्ड विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सूचनाओं से संबंधित **"बोर्ड जर्नल"** नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है।

- अनुचित साधनों की रोकथाम **अधिनियम, 1992** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा **अधिनियम 1957** के अधीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, **राजस्थान लोक सेवा आयोग** या **संघ लोक सेवा आयोग** तथा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की परीक्षा पर लागू होगा।

➢ बोर्ड के कार्य

- परीक्षा कार्य करवाना।
- जाँच एवं मूल्यांकन करवाना व परीक्षा परिणाम तैयार करवाकर अंकतालिका उपलब्ध करवाना।
- पाठ्यक्रम तैयार करवाना।
- विद्यालयों को पात्रता प्रदान करना तथा विद्यालयों को बोर्ड से सम्बद्धता प्रदान करना तथा उनका निरीक्षण करना।

2 विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएँ एवं पुरस्कार

केन्द्र सरकार की योजनाएँ

❖ पी.एम. विद्यालक्ष्मी योजना–

- **प्रारंभ–** 6 नवम्बर, 2024
- **पात्रता–** पारिवारिक आय 8 लाख से कम (वार्षिक)
- **उद्देश्य–** निजी व सरकारी संस्थानों में 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- **4 से 10 लाख तक** बिना गारन्टी के ऋण, बैंक दर में 3% ब्याज छूट
- 7.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए भारत सरकार की तरफ से बैंकों को 75% क्रेडिट गारन्टी दी जायेगी।
- **860 शीर्ष संस्थानों** में (NIRF रैंकर कॉलेज) पढ़ने वाले **22 लाख** से अधिक छात्रों को सहयोग मिलेगा।
- योजना में **वर्ष 2030 तक** 3600 करोड़ तक के लगभग खर्च होगें।

❖ पीएम श्री योजना–

- **प्रारंभ– 5 सितम्बर, 2022** को शिक्षक दिवस के अवसर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषणा। (सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 134वें जन्म दिवस पर)
- **पूरा नाम– PM SHRI** (Pradhan Mantri Schools For Rising India) (बजट 1,500 करोड़)
- **विभाग–** शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)
- **कुल स्कूल–** 14,500 स्कूल्स (राजस्थान में 716 स्कूल)
- ये मॉडल स्कूल होंगे जो देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होंगे।
- **उद्देश्य–** आनंददायी वातावरण में विद्यार्थियों के साथ खेल आधारित, खोज उन्नमुख एवं विद्यार्थी केन्द्रित समग्र एवं एकीकृत शिक्षण विधियों का प्रयोग कर उनके अद्यतन कौशलों से सज्जित समग्र एवं सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण करना है।
- भारत सरकार द्वारा **7 सितम्बर, 2022** को राजस्थान के लिए पीएम श्री योजना के प्रथम चरण में **402 विद्यालयों** का अनुमोदन किया गया था। **(स्रोत– सुजस मार्च–जून, 2024)**
- इस योजना की अवधि **2022** से **2027** तक रखी गई है।

❖ प्रधानमंत्री पोषण योजना –

- **प्रारंभ– 29 सितम्बर, 2021** को
- **उद्देश्य–** सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बालकों को गर्म **पका हुआ भोजन** उपलब्ध करवाना।
- **अवधि–** 2021–22 से 2025–26 तक।

☞ **नोट–** यह योजना स्कूलों में संचालित **मिड–डे–मील** योजना का स्थान लेगी तथा पोषाहार उद्यानों को बढ़ावा देगी।

❖ निपुण भारत (NIPUN BHARAT) योजना

- **प्रारंभ– 5 जुलाई, 2021**
- **पुरा नाम– National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy**
- **कार्यान्वयन–** स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय।
- **उद्देश्य–** छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान प्रदान करना।
- इस योजना के माध्यम से **वर्ष 2026–27** तक प्रत्येक बच्चे को **तीसरी कक्षा** के अन्त तक पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जायेगी।
- यह निपुण भारत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम **समग्र शिक्षा** का एक हिस्सा होगी, जिसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में **5 स्तरीय तंत्र** (राष्ट्रीय–राज्य–जिला–ब्लॉक–स्कूल) की स्थापना की जायेगी।
- इसका उद्देश्य उसे **9 वर्ष** के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है अर्थात् आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करके एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि **कक्षा 3 तक** के प्रत्येक बच्चे को **वर्ष 2026–27 तक** पढ़ने, लिखने और अंक गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके।
- निपुण भारत मिशन के तहत् (FLN- Foundational Literey and Numerey) **मूलभूत साक्षरता** एवं **संख्यात्मकता कार्यक्रम** चलाया गया है।
- इस योजना को **'राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पहल'** भी कहा जाता है।

❖ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण–

- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण **(National Achievement Survey-NAS)** विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा विकसित एक **सर्वेक्षण कार्यक्रम** है, जिसके तहत कक्षा 3, 5, 8 और कक्षा 10 के छात्रों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु **परीक्षा आयोजित** की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के आधार पर हुए सर्वे को सभी राज्यों व सम्पूर्ण भारत के लिए मुख्य माना है।
- NAS (National Achiement Survey) :- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्** (NCERT) द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत **कक्षा 3, 5, 8** व **कक्षा 10** के छात्रों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। NAS का आयोजन सम्पूर्ण भारत में **12 नवम्बर, 2021** को किया गया।

❖ आपणी लाडो–

- **"बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं"** कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से संबंधित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की महत्त्वपूर्ण पहल है।
- **राज्य के समस्त जिलों में** सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम मनाने का प्रावधान किया गया है।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं को विद्यालयों में जोड़ने, ठहराव सुनिश्चित करने, गुणवतापूर्ण शिक्षा एवं **कोविड–19** से बचाव हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यालयों में एक रैली आयोजित की जायेगी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जायेंगे।

❖ एकलव्य/मीरा पुरस्कार योजना–

- **संचालन–** राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा।
- योजना के तहत् राजस्थान स्टेट ओपन से **कक्षा 10वीं** एवं **12वीं** में राज्य एवं जिला स्तर पर महिलाओं को **'मीरा पुरस्कार'** एवं पुरूषों को **'एकलव्य पुरस्कार'** प्रदान किया जाता है।
- **देय राशि–** राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को **21,000 रुपये** एवं द्वितीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को **11,000 रुपये** पुरस्कार मय प्रमाण–पत्र दिया जाता है।
- जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को **11,000 रुपये** एवं द्वितीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को **5,100 रुपये** पुरस्कार मय प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

(स्रोत– प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023–24 मा.शि.विभाग राज.)

❖ बाल मित्र योजना–

- **विभाग–** बाल अधिकारिता विभाग
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य **लैंगिक अपराधों** से **(REET- II (सामाजिक) 2023)** बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं **किशोर न्याय** (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत् **हिंसा/दुर्व्यवहार** से **पीड़ित बच्चों** के लिए प्रत्येक स्तर पर उन्हें अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने एवं सहज प्रक्रिया के पालन पर जोर देना है।

❖ महिला शिक्षण विहार–

- **आयु–** 15 से 30 वर्ष
- **पात्रता–** (केवल महिलाएँ) वंचित वर्ग, परित्यक्ता, विधवा, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलों की महिलाओं।
- **उद्देश्य–** आवासीय विद्यालयों के माध्यम से कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक हुनर सिखाया जाता हैं।
- महिला शिक्षण विहार, झालावाड़ में वर्ष 2023–24 में **31 दिसम्बर, 2023** तक **99 महिलाएँ** लाभान्वित हो रही है।

बालिका शिक्षा फाउण्डेशन

- **स्थापना–** **30 मार्च, 1995**
- **मुख्यालय–** जयपुर।
- **उद्देश्य–** बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
- **फाउण्डेशन के अध्यक्ष–** मुख्यमंत्री
- **फाउण्डेशन के सभापति–** मुख्य सचिव
- इस फाउण्डेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की प्रतिभाशाली बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस फाउण्डेशन के कोष में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से निम्नांकित योजनाओं का संचालन किया जाता है–

1. गार्गी पुरस्कार योजना–

- **प्रारंभ–** 1998 में।
- **लाभान्वित वर्ग–** समस्त वर्ग की छात्राएँ।
- **पात्रता–** वे सभी बालिकाएँ, जिन्होंने BSER में कक्षा **10 में 75%** या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हो।
- **देय राशि–** 6000 रुपये और एक प्रशस्ती पत्र।
  (i) प्रथम किस्त 11वीं में **3000रु.**
  (ii) द्वितीय किस्त 12वीं में **3000रु.**

☛ **नोट–** पुरस्कार हेतु राशि निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है। उक्त पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष **'बंसत पंचमी'** को **DBT** के माध्यम से प्रदान की जाती है।

- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की **कक्षा 10वीं** की परीक्षा में **8 से 10 सीजीपीए** प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी यह पुरस्कार दिया जाता है।

(स्रोत– प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023–24 मा.शि.विभाग राज.)

2. आपकी बेटी योजना–

- **प्रारंभ–** **2004–2005** में।
- योजनान्तर्गत 'गरीबी रेखा से नीचे **जीवन–यापन** करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएँ जिनके **माता–पिता** दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो' ऐसी बालिकाएँ जो राजकीय विद्यालयों में **कक्षा 1 से 12** में अध्ययनरत् है, को लाभान्वित किया जाता है।
- **देय लाभ–** कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् बालिकाओं को **2100 रुपये** प्रतिवर्ष तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् बालिकाओं को **2500 रुपये** प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता **DBT** के माध्यम से अन्तरित करवायी जाती है।

(स्रोत– प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023–24 मा.शि.विभाग राज.)

3. शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना–

- **प्रारंभ–** **2005–06**

3 विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ

- राजस्थान में सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा राज्य के सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की उन्नति को प्रोत्साहन देने हेतु **राजस्थान सोसाइटी अधिनियम, 1958** के तहत् **विद्यालय विकास कोष** (SDF) की स्थापना की गई।
- इसके उपरान्त **22 अप्रैल, 1999** को सरकार ने राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **'विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंध समिति'** (SDMC) का गठन करने के निर्देश जारी किये।
- **RTE Act-2009 की धारा (21)** के तहत सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **विद्यालय प्रबंधन समिति** (SMC) के गठन का प्रावधान किया गया है।
- केन्द्र सरकार के 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010' के **नियम 3(1)** एवं राजस्थान सरकार के **'राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार नियम 2011'** के **नियम 3 (1)** के तहत् राज्य की समस्त राजकीय एंव अनुदानित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जन–सहभागिता के आधार पर विकास करने एवं विद्यालयों की **प्रबन्ध व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण** करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल में **विद्यालय प्रबंधन समिति** (SMC) के गठन का प्रावधान किया गया है।
- शिक्षा विभाग, राज्य सरकार द्वारा **21 जनवरी, 2015** को 'आदर्श विद्यालय योजना'/'समन्वित विद्यालय योजना' के तहत जारी किये गये आदेश के द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में **निम्न समितियों** के गठन का प्रावधान किया गया–
  (i) **कक्षा 1 से 8** तक के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)
  (ii) **कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 9 से 12** तक के लिए विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंधन समिति (SDMC)

राजस्थान में विद्यालय प्रबन्धन समिति के स्वरूप

विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)	विद्यालय विकास व प्रबन्धन समिति (SDMC)
स्थापना– RTE Act की धारा 21 के अनुसार 10 मई, 2011 को। **कक्षा– कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में (6 से 14 वर्ष के विद्यार्थीगण)** **अध्यक्ष– अभिभावकों में से कोई एक** **सदस्य सचिव– संस्थाप्रधान/प्रधानाध्यापक**	**स्थापना– राज्य सरकार के 22 अप्रैल, 1999 के निर्देशानुसार** **कक्षा– कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में (14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थीगण)** **अध्यक्ष– संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य** **सदस्य सचिव– प्रधानाचार्य द्वारा मनोनीत विद्यालय का वरिष्ठतम शिक्षक**

I. विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)

➢ **पूरा नाम–** School Management Committee

❖ **SMC का कार्यालय व कार्यक्षेत्र–** SMC का कार्यक्षेत्र समिति के कार्यालय स्थित विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थानों तक होगा, परन्तु विकास कार्य केवल **विद्यालय परिसर**, विद्यालय से संबंधित खेल मैदान एवं विद्यालय से संबंधित सम्पतियों में ही कराये जा सकेंगें।

❖ समिति के उद्देश्य–

- विद्यालय के क्रियाकलापों का **नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण** करना।
- विद्यालय के विकास हेतु **'विद्यालय विकास योजना'** का निर्माण करना व उसे स्वीकृत करना।
- संबंधित विद्यालय के लिए एक **'विकास कोष'** बनाना, जिससे विद्यालय के भवन, उपस्कर (Equipment) एवं अन्य शैक्षिक सुविधाओं से संबंधित **विकास के कार्य** किए जा सकेंगे।
- संबंधित विद्यालय के लिए एक **'परिचालन कोष'** बनाना, जिससे राजकीय सहायता व अन्य माध्यमों से वेतन, आवश्यक परिचालन व मरम्मत व्यय वहन किया जा सके।
- विद्यालय भवन के विस्तार एवं अन्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की जन–सहभागिता आधारित योजनाओं से **'संस्था विकास कोष'** के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना।
- सक्षम सरकार/स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य संस्थाओं, निकायों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता के उपयोग पर **समुचित निगरानी** रखना।
- प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं **यथा– सर्वशिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षाकर्मी परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम** आदि के अन्तर्गत विद्यालयों के विकास, भवन निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव, शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम उपकरण, विद्यालय फैसिलिटी ग्रान्ट एवं टी.एल.एम. ग्रान्ट आदि हेतु उपलब्ध कराये गये राशियों/प्रावधानों से निर्माण/**विकास कार्य कराना** एवं ग्रान्ट्स का समुचित उपयोग करना।

4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में)

- केन्द्र सरकार ने **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020'** (National Education Policy-2020) को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति **34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' 1986** को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 (प्रथम) और 1986 (द्वितीय) के बाद यह **भारत की तीसरी शिक्षा नीति है**। NEP-2020 के तहत् केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर **देश की जीडीपी के 6%** हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है तथा अगले 10 वर्षों में शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने की उम्मीद रखती है।
- वर्ष 2015 में पूर्व कैबिनेट सचिव **T.S.R. सुब्रमण्यम** की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए **5 सदस्यीय** समिति का गठन किया गया था, लेकिन यह मसौदा सरकार ने अस्वीकृत कर दिया।

➢ **अध्यक्ष–**सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख **पद्म विभूषण डॉ. के. कस्तूरी रंगन।**

➢ **समिति– कस्तुरीरंगन समिति।**

➢ **समिति का गठन–**

- जून, 2017 में समिति का गठन किया तथा 31 मई, 2019 में **"राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा"** कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। अंतिम रूप देने से पहले **30 जून, 2019** तक आम जनता से सुझाव मांगे गये।

➢ **मंजूरी– 29 जुलाई, 2020** को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा इसे मंजूरी मिली।

☞ **नोट–**"राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020" को **4 भागों** में तथा **27 अध्यायों** में विभक्त किया गया है।

- भाग I– स्कूल शिक्षा
- भाग II– उच्चतर शिक्षा
- भाग III– अन्य केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे
- भाग IV– क्रियान्वयन की रणनीति
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य– **कर्नाटक** **(REET-L-2 (Urdu) 2023)**

❖ MHRD के नाम में परिवर्तन–

- केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" (Ministry of Human Resource Development) का नाम बदलकर **शिक्षा मंत्रालय** (Education Ministry) कर दिया गया है। 1985 से पहले यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था जिसे 1985 में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) कर दिया गया था।
- NEP-2020 के तहत् MHRD का नाम बदलकर **'शिक्षा मंत्रालय'** करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने को (Education and Learning) पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है।

❖ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का **उद्देश्य शिक्षा** की पहुंच, समानता, गुणवता, वहनीय शिक्षा और उत्तर दायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है।
- गुणवत्ता, नवाचार एवं अनुसंधान के माध्यम से भारत को **'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति'** बनाना।
- शिक्षण व्यवस्था को मुख्यरूप से **4 भागों** में बांटा गया विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी व व्यवसायिक शिक्षा,
- वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में **100 प्रतिशत नामांकन अनुपात** प्राप्त करना है। (GER)
- 2025 तक **कक्षा–3 तक** के विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता का ज्ञान सुनिश्चित किया जाना है। (FLN)
- छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और **विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र** और **इण्डस्ट्री में कुशल** लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करना है।
- छात्रों में रचनात्मक सोच, **तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना** को प्रोत्साहित करना।
- भाषायी बाध्यताओं को दूर करने, **दिव्यांग छात्रों के लिए** शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना।
- वर्ष 2015 में **(REET-L-2 (Sindhi) 2023)** अपनाये गये सतत् विकास एजेण्डा 2030 के लक्ष्य SDG-4 के तहत् 2030 तक **"सभी के लिए समावेशी और समान कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने"** व जीवनपर्यंत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवीन शिक्षा नीति जारी की गई। **(स्कूल व्याख्याता–2024)**

❖ स्कूली शिक्षा में सुधार–

नया फॉर्मेट	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5	फाउण्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आँगनवाड़ी (नन्दघर)
	फाउण्डेशन स्टेज	6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राइमरी) (कक्षा 1 व 2)
3	प्राथमिक शिक्षा	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3	मध्य स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4	अन्तिम स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

5 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : प्रावधान एवं क्रियान्विति

भारत में शिक्षा के अधिकार की पृष्ठभूमि

- 1870 में **ब्रिटेन** में 'प्राथमिक शिक्षा' को अनिवार्य कर दिया गया था।
- **हंटर आयोग**– भारतीयों ने 1882 में **भारतीय शिक्षा आयोग** (हंटर आयोग) के सामने जनशिक्षा व प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग उठाई।
- **1893** में भारत में बड़ौदा के महाराजा **सियाजीराव गायकवाड़** द्वारा अमरेली क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य की गई। (केवल बालकों के लिए)
- **1906** में महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ द्वारा अपने सम्पूर्ण क्षेत्र में **प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य** कर दिया। (केवल बालकों के लिए)
- **गोखले बिल**– 18 मार्च, 1910 को सर्वप्रथम **गोपाल कृष्ण गोखले ने** ब्रिटिश **केन्द्रीय विधान परिषद्** (दिल्ली) में भारत में 'मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, उसे **'गोखले बिल'** भी कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। **(REET-L-2 (Urdu) 2023)**
- शिक्षा के अधिकार के जनक/पिता– **गोपाल कृष्ण गोखले**।
- **पटेल बिल**– 1917 में **बिट्ठल भाई पटेल** द्वारा मुम्बई प्रान्त में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का बिल पेश किया गया और अंग्रेजों द्वारा उसे पास कर दिया गया। इसे पटेल बिल/पटेल एक्ट कहते हैं।

❖ वर्धा शिक्षा योजना/बेसिक शिक्षा योजना–1937

- वर्धा में **'अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन'** आयोजित किया गया जिसे **'वर्धा योजना'** के नाम से जाना जाता है।
- इस सम्मेलन से **महात्मा गाँधी** ने **बुनियादी शिक्षा/मूल शिक्षा/तालिमी शिक्षा** की अवधारणा दी।
- बुनियादी शिक्षा के लिए एक **समिति का गठन** किया गया और इस समिति के अध्यक्ष **डॉ. जाकिर हुसैन** को बनाया गया।
- इस योजना में बच्चों को **7 वर्ष तक** निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने पर बल दिया गया।
- इस योजना में **मातृभाषा में शिक्षा** देने पर बल दिया।
- हस्तशिल्प कौशल/शिल्प कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया।

❖ 1944 में **सार्जेंट आयोग** द्वारा 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ की गई।

❖ **खेर समिति–** देश की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने 1947 में सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए लागत एवं साधन संबंधी संभावनाओं का पता लगाने के लिए 'खेर समिति' का गठन किया।

- स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोग/समितियाँ व संस्थाओं की स्थापना–

वर्ष	नाम आयोग/समिति/संस्था
1948	डॉ. राधाकृष्णन आयोग का गठन
1952	मुदालियर आयोग (माध्यमिक शिक्षा) का गठन
1953	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन
1958	माध्यमिक शिक्षा परिषद् का गठन
1961	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT)
1964	कोठारी शिक्षा आयोग का गठन
1968	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (प्रथम)
1986	राष्ट्रीय शिक्षा नीति (द्वितीय)
1990	आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक शिक्षा समीक्षा समिति का गठन
1993	प्रो. यशपाल कमेटी का गठन
2005	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
2009	शिक्षा का अधिकार
2020	नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुमोदन

स्रोत– बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान (राज. हिन्दी ग्रंथ अकादमी)

❖ कोठारी शिक्षा आयोग (1964–66)

- इसे **'भारतीय शिक्षा आयोग'** भी कहते है। इस आयोग के अध्यक्ष **दौलत सिंह कोठारी** (उदयपुर) थे। इस आयोग ने 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। **(REET-L-2 (Hindi) 2023)**
- बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा **मातृभाषा** में प्रदान करने तथा माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं के शिक्षण को प्रोत्साहित करने के सुझाव दिये।
- इस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत की प्रथम 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' घोषित की गई।

❖ प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 24 जुलाई, 1968

- इसमें शिक्षा में **द्विभाषा सूत्र** अपनाने, राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने, 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने तथा हिन्दी को **सम्पर्क भाषा** के रूप में विकासित करने के सुझाव दिये।

❖ दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1986

(REET-L-2 (Sanskrit) 2023)

- इसमें सहशिक्षा पर जोर देते हुए प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर के भीतर विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई। इस नीति से शिक्षा में निम्न सुधार देखे गये–

अनुसूची
(धारा 19 और धारा 25 देखें)
विद्यालय के लिए मान और मानक

क्र. स.	मद	मान और मानक
1.	शिक्षकों की संख्या: (क) पहली कक्षा से पांचवी कक्षा के लिए	प्रवेश किए गए बालक — शिक्षकों की संख्या 60 तक — 2 61 से 90 के मध्य — 3 91 से 120 के मध्य — 4 121 और 200 के मध्य — 5 150 बालकों से अधिक — 5 + 1 प्रधान अध्यापक(**head teacher**) 200 बालकों से अधिक — छात्र–शिक्षक अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा। (प्रधान अध्यापक को छोड़कर)
	(ख) छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	1. कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो– (i) विज्ञान और गणित, (ii) सामाजिक अध्ययन, (iii) भाषा। नोट– कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम 3 शिक्षक अवश्य नियुक्त किये जायेंगें। 2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। 3. जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां– (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक(**Head Teacher**) (ii) निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक– (अ) कला शिक्षा, (आ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, (इ) कार्य अनुभव शिक्षा।
2.	भवन	सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे– (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय–सह–भंडार–सह प्रधान अध्यापक कक्ष। (ii) बाधा मुक्त पहुंच (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल सुविधा, (v) जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहां एक रसोई होना, (vi) खेल का मैदान, (vii) सीमा दीवार या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा
3.	एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	(i) कक्षा 1 से कक्षा 5– 200 कार्य दिवस, 800 शिक्षण घंटे (प्रति शैक्षणिक वर्ष) **(REET-L-2 (Social Science) 2023)** (ii) कक्षा 6 से कक्षा 8– 220 कार्य दिवस, 1000 शिक्षण घंटे (प्रति शैक्षणिक वर्ष)।
4.	शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या	45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं।
5.	अध्यापन शिक्षण उपकरण	प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचारपत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपकरण	प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

6 राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011

- राजस्थान में RTE Act 2009 की **धारा–38** द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु **'राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011'** निर्मित कर **29 मार्च 2011 को अधिसूचना (REET - L2(संस्कृत))** जारी की गई तथा इस नियमावली में **10 भागों (REET-L-2 (Sanskrit) 2023)** में **29 नियमों (REET-L-1 2023) (REET-L-2 (Punjabi) 2023)** का उल्लेख किया गया है। राजस्थान में आर. टी.ई नियमावली **1 अप्रैल, 2011 से लागू** हुई। जो निम्नलिखित प्रकार से हैं–

❖ नियम 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–

- इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 है। जिसे **29 मार्च 2011** से अधिसूचित किया गया। **(REET-L-2 (Sanskrit) 2023)**
- **राजपत्र में इसका प्रकाशन 30 मार्च, 2011** को किया गया था।

क्र.सं.	भाग का नाम	नियम
1.	प्रारम्भिक	नियम–2
2.	विद्यालय प्रबंधन समिति	नियम–3 से नियम–5 तक
3.	निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार	नियम–6
4.	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य और दायित्व	नियम–7 से नियम–9 तक
5.	विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व	नियम–10 से नियम–15 तक
6.	अध्यापक	नियम–16 से नियम–21 तक
7.	पाठ्यचर्या और प्रारम्भिक शिक्षा का पूरा होना	नियम–22 व नियम–23
8.	शिकायत निवारण	नियम–24 व नियम–25
9.	बाल अधिकारों का संरक्षण	नियम–26 से नियम–28 तक
10.	प्रकीर्ण	नियम–29

भाग–I प्रारम्भिक

❖ नियम 2. परिभाषाएँ–

(i) **आंगनबाड़ी–** भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित केन्द्र

(ii) **ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–** किसी ब्लॉक में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी

(iii) **निःशक्त बालक–** निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अधीन निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा में आने वाला कोई व्यक्ति

(iv) **आयुक्त/निदेशक–** सर्वशिक्षा अभियान से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् का प्रमुख

(v) **निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा–** प्रारम्भिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष।

(vi) **जिला प्रारम्भिक शिक्षा–** किसी जिले में प्रारिम्भक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी।

(vii) **कार्यकारी समिति–** किसी विद्यालय के **दिन–प्रतिदिन के प्रबन्ध** के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबन्ध समिति।

(viii) **छात्र संचित अभिलेख–** विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख

(ix) **विद्यालय प्रबन्ध समिति–** अधिनियम की **धारा 21 के अधीन** गठित समिति।

(x) **विद्यालय मान–चित्रण–** सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की **धारा 6 के प्रयोजन** के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना।

(xi) **प्राथमिक विद्यालय– कक्षा 1 से 5 तक** शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय।

(xii) **उच्च प्राथमिक विद्यालय– कक्षा 1 से 8** तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय।

भाग–II विद्यालय प्रबन्ध समिति

❖ नियम 3. विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना और कृत्य

(i) गैर–सहायता प्राप्त विद्यालय से **भिन्न** प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार **प्रत्येक 2 वर्ष** में उसका पुनर्गठन किया जायेगा।

(ii) उक्त समिति में निम्नलिखित **सदस्य** होंगे –

- विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक का **माता–पिता/संरक्षक**।
- विद्यालय में कार्यरत **समस्त अध्यापक**।
- स्थानीय प्राधिकारी के उस **वार्ड**, जिसमें विद्यालय स्थित है, से **निर्वाचित व्यक्ति**।
- स्थानीय प्राधिकारी के उस ग्राम/वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, में निवास कर रहे समस्त **अन्य निर्वाचित सदस्य**।

(iii) कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य–सचिव विद्यालय प्रबंधन समिति के **क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य** सचिव होंगे।

(iv) उक्त समिति **प्रत्येक 3 माह से कम से कम 1 बार** अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे।

7 राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश

- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 जो **1 अप्रैल, 2010** से लागू हुआ, जिसकी **धारा–12 (1) (ग)** के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की **25 प्रतिशत सीटों** पर **'दुर्बल वर्ग'** एवं **असुविधाग्रस्त समूह** के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर **कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा** उपलब्ध करवानी होगी।
- राज्य में इस प्रावधान के अन्तर्गत गैर–सरकारी विद्यालयों में **सत्र 2012–2013 से** प्रवेश दिये जा रहे हैं।
- स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा NIC के सहयोग से **वेब पोर्टल** का निर्माण किया गया है तथा सत्र 2013–2014 से प्रवेश, **भौतिक सत्यापन की मॉनिटरिंग** व पुनर्भरण की प्रक्रिया को **ऑनलाईन** किया गया। जिससे समस्त व्यवस्थाओं में पारदर्शिता भी स्थापित हुई है।

RTE Act का मुख्य उद्देश्य

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है **गरीबी रेखा** से नीचे के **मेधावी विद्यार्थियों** को अच्छी तथा उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना तथा शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके।

❖ निः शुल्क निजी विद्यालय में प्रवेश प्रावधान–

- प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में **एन्ट्री लेवल कक्षा** में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के **25 प्रतिशत** की सीमा तक 'दुर्बल वर्ग' एवं 'असुविद्याग्रस्त समूह' के बालकों को निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा (PP3+) एवं **कक्षा 1** हेतु प्रवेश देना होगा।
- कक्षा 1 में क्रमोनत एवं नवीन प्रवेशित बालकों में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालकों की संख्या **25 प्रतिशत** से अधिक नहीं हो, परन्तु किसी भी स्थिति में क्रमोनत निःशुल्क अध्ययनरत बालक को निष्कासित नहीं किया जायेगा।

☛ **नोट–** यदि किसी विद्यालय में **एन्ट्री कक्षा** में एक भी नॉन RTE प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में **RTE प्रवेश** नहीं लिया जा सकेगा।

- **निःशुल्क प्रवेशित** बालकों को कक्षा या विद्यालय की किसी भी एक्टिविटी में अन्य बालकों से भिन्न नहीं रखा जायेगा।
- किसी निजी विद्यालय में कक्षा 1 में नवीन प्रवेशित तथा क्रमोन्नत विद्यार्थियों की संख्या ही कक्षा–1 की कुल प्रवेश संख्या होगी।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अधिकतम **अवधि 3 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।
- प्ले ग्रुप **निःशुल्क प्रवेश** के लिए **मान्य नहीं** होगा।

❖ निः शुल्क प्रवेश के लिए पात्रता–

- बालक निजी विद्यालय के क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए। किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित **शहरी निकाय/ग्राम पंचायत** से बाहर निवास करने वाले बालक/बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

➢ **बालक दुर्बल वर्ग** या **असुविधा ग्रस्त समूह** से होना चाहिए **(राज्य सरकार अधिसूचना 18 मई, 2020)–**

1. दुर्बल वर्ग– ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम हो

2. असुविधा ग्रस्त समूह–

(i) अनुसूचित जाति (16%)/जनजाति के बालक(12%)

(ii) एक अनाथ बालक **(REET-L2 (Hindi) 2023)**

(iii) **युद्ध विधवा के बालक**

(iv) HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक या माता–पिता/संरक्षक के बालक (रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट)

(v) निःशक्त बालक (राइट ऑफ परसन विथ डिस्एेबीलिटी एक्ट (PWD)–2016 की धारा–2 (r) में वर्णित)

(vi) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय **2.5 लाख रुपये** या उससे कम हो।)

(vii) बीपीएल सूची में रजिस्टर्ड अभिभावक का बालक।

☛ **नोटः–** अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्र में आवेदन प्राप्त नहीं हो तो उन्हें **अनुसूचित जनजाति वर्ग** से भरा जा सकता है। **(REET-L2 (Hindi) 2023)**

❖ निः शुल्क प्रवेश के लिए आयु संबंधी पात्रता–

➢ एंट्री कक्षा में बालक की आयु के अनुसार प्रवेश हेतु निम्नानुसार दो विकल्प होंगे–

i. अधिनियम के अनुसार कक्षा–1 में प्रवेश हेतु **न्यूनतम आयु– 6 वर्ष** तथा पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 3 वर्ष होगी।

☞ **नोट–** शैक्षिक सत्र 2024–25 से राजस्थान में राजकीय तथा गैर–राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम उम्र 6 वर्ष कर दी है। विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक/बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष **31 जुलाई** को पूर्ण होनी चाहिए।

- RTE अधिनियम लागू होने के समय राज्य में विद्यालय में कक्षा–1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष लागू की गई थी, जिसे राजस्थान सरकार ने **14 सितम्बर, 2016** को एक आदेश द्वारा **5 वर्ष** कर दिया था।

ii. विद्यालय संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु, लेकिन कोई भी विद्यालय **3 वर्ष से कम** तथा **7 वर्ष से अधिक** आयु के बालक को एंट्री कक्षा में प्रवेश नहीं दे सकेगा तथा किसी भी एंट्री कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं **अधिकतम आयु में 2 वर्ष** से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न

REET L-1 25.02.2023 1st Shift

1. समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है?
(1) BEEO (2) CBEO
(3) PEEO (4) ADED (2)

2. प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम, 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र–शिक्षक अनुपात है–
(1) 35 : 1 (2) 40 : 1 (3) 25 : 1 (4) 30 : 1 (4)

3. विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम.....सदस्य माता–पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए।
(1) 2/3 (2) 3/4 (3) 1/4 (4) 1/2 (2)

4. राजस्थान RTE अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएँ हैं?
(1) 10 भाग 30 धाराएँ (2) 8 भाग 29 धाराएँ
(3) 8 भाग 20 धाराएँ (4) 10 भाग 29 धाराएँ (4)

5. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009..... आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है।
(1) 6 से 16 वर्ष (2) 6 से 22 वर्ष
(3) 3 से 18 वर्ष (4) 6 से 14 वर्ष (4)

6. अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे?
(1) 4 (2) 5
(3) 2 (4) 3 (2)

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी?
(1) माध्यमिक शिक्षा आयोग (2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)
(3) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग
(4) शिक्षा आयोग (1964–66) (3)

REET L-2 01.03.2023 1st Shift (Sindhi)

1. भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए Goal 4 (SDG4) कब अपनाया?
(1) 2025 (2) 2020
(3) 2015 (4) 2030 (3)

2. विद्यालय प्रबंध समिति को एक माह में कम से कम .... सभा आयोजित करनी चाहिए।
(1) इनमें से कोई नहीं (2) एक बार
(3) दो बार (4) तीन बार (2)

3. RTE अधिनियम, 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी–अपनी RTE नियमावली बनाएं?
(1) धारा 37 (2) धारा 36
(3) धारा 35 (4) धारा 38 (4)

4. विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधक समिति में क्या पदनाम होता है?
(1) अध्यक्ष (2) वित्त सचिव
(3) पदेन सदस्य सचिव (4) उपाध्यक्ष (3)

5. विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है?
(1) 15 जून (2) 15 अक्टूबर
(3) 15 नवम्बर (4) 15 मई (2)

6. बच्चों का अधिकार–निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 किस दिन से लागू हुआ?
(1) 1 जून, 2010 (2) 1 मई, 2010
(3) 1 मार्च, 2010 (4) 1 अप्रैल, 2010 (4)

7. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बाँटा गया है?
(1) 3 स्तर (2) 5 स्तर
(3) 4 स्तर (4) 2 स्तर (3)

8. राजस्थान RTE नियम, 2011 के अनुसार बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने पर दिये जाने वाले प्रमाणपत्र का आधार क्या होगा?
(1) अंतिम योगात्मक मूल्यांकन (2) पोर्टफोलियो
(3) छात्र अभिलेख (4) एन्कडोटल (1)

REET L-2 28.02.2023 1st Shift (Urdu)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र को क्या नाम दिया गया है?
(1) दिशा (2) परख (3) दीक्षा (4) निखार (2)

2. अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं, तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या होनी चाहिए_____।
(1) 6 (2) 8 (3) 2 (4) 4 (1)

H.M. (Sanskrit) प्रवेशिका पेपर
11-10-2021

1. सरकारी निजी भागीदारी कार्यक्रम'' बनाने का प्रस्ताव किस वर्ष में स्वीकार किया गया था?
(1) 2002 (2) 1998
(3) 2005 (4) 1992 (3)

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौनसा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है?
(1) 3+3+4+5 (2) 3+5+3+4
(3) 5+3+4++3 (4) 5+3+3+4 (4)

3. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की स्थापना कौनसे वर्ष में हुई थी?
(1) 1989 (2) 1984
(3) 1985 (4) 1956 (1)

4. राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किये गये कार्यक्रम का नाम क्या है?
(1) दीक्षा कार्यक्रम (2) सहेली कार्यक्रम
(3) स्माईल कार्यक्रम (4) ईमली कार्यक्रम (3)

5 निम्नलिखित में से कौनसा राजस्थान के 'समग्र शिक्षा अभियान' का मुख्य लक्ष्य नहीं है?
(1) प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना
(2) विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना
(3) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना
(4) विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना (1)

6. विद्यालय के शाला–प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) में क्या पदनाम होता है?
(1) वित्त सचिव (2) पदेन सदस्य सचिव
(3) उपाध्यक्ष (4) अध्यक्ष (2)

7. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए?
(1) दो (2) चार
(3) पांच (4) तीन (1)

8. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियाँ नहीं रहनी चाहिए?
(1) 8% (2) 10%
(3) 5% (4) 15% (2)

9. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिये एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम शिक्षण घण्टे क्या हैं?
(1) आठ सौ बीस (2) एक हजार
(3) सात सौ पचास (4) आठ सौ (2)

10. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेशित किया जायेगा?
(1) उसके ज्ञान के स्तर के अनुरूप
(2) उसके मौखिक साक्षात्कार के अनुरूप
(3) उसकी आयु के अनुरूप
(4) उसके अनुवीक्षण के अनुरूप (3)

11. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, शिक्षक के लिये एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य/अध्यापन के घण्टे शिक्षण तैयारी के घण्टों सहित क्या है?
(1) पैंतालीस (2) चालीस
(3) बयालीस (4) तीस (1)

12. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
(1) एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जायेगा।
(2) एक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
(3) एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानान्तरण कराये।
(4) आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जायेगा। (4)

13. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संशोधन 2019) के तहत, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जायेगी?
(1) पांचवीं एवं आठवीं (2) दूसरी एवं सातवीं
(3) सातवीं एवं आठवीं (4) पहली एवं छठी (1)

14. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संशोधन 2017) के अनुसार, एक अध्यापक जो 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता ..... के समय में अर्जित करेगा।
(1) पांच वर्ष (2) दो वर्ष
(3) चार वर्ष (4) तीन वर्ष (3)

15. बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से सम्बन्धित हैं, परिभाषित है –
(1) विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में
(2) गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) में
(3) आर्थिक पिछड़ा वर्ग में
(4) असुविधाग्रस्त समूह में (वंचित समूह में) (4)

(f) KGBV उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं। इनमें से कौन से वाक्य समूह सही हैं ?
(1) (a), (b), (f) (2) (a), (d), (f)
(3) (c), (d), (f) (4) (b), (c), (e) (1)

13. **निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, अधिनियमित किया गया :**
(1) लोक सभा द्वारा (2) राज्य सभा द्वारा
(3) भारत की संसद द्वारा (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं (3)

14. **शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए है :**
(1) चालीस घंटे (2) पैंतालिस घंटे
(3) पचास घंटे (4) पचपन घंटे (2)

15. **शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) में विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों के माता–पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में निर्दिष्ट है?**
(1) बीस प्रतिशत (20%) (2) पचहत्तर प्रतिशत (75%)
(3) साठ प्रतिशत (60%) (4) पचास प्रतिशत (50%)
(डिलीट)

प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा– 2011

1. **निम्न में से कौन–सा एक सही नहीं है?**
सर्वशिक्षा अभियान तल प्रधान (bottom up) उपागम का उपयोग इसलिये करता है
(1) क्योंकि यह नियोजना टीम को समस्याओं से अवगत कराता है यद्यपि उनेक समाधान में सहायता नहीं करता है।
(2) क्योंकि वह साधारण व्यक्तियों के स्तर में वास्तविकता को दर्शाता है।
(3) क्योंकि यह उन व्यक्तियों को जो इस में सम्मिलित हैं समस्या की जानकारी देता है तथा समाधान में सहायक है।
(4) क्योंकि यह उन व्यक्तियों में जो इसमें सम्मिलित है अपनत्व की भावना पैदा करता है। (1)

2. **निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान (IASE) प्रशिक्षण प्रदान करता है?**
(1) वरिष्ठ अध्यापक अथवा द्वितीय श्रेणी अध्यापक
(2) शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक
(3) शाला व्याख्याता
(4) द्वितीय श्रेणी अध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक (2)

3. **निम्न में से कौन–सा एक सही है?** शिक्षा प्रबन्धन अध्यापकों के उन प्रयासों के मोनिटरिंग की यह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सकें कि–
(1) वे जीवन में अच्छा व्यवसाय तथा स्तर प्राप्त कर सकें।
(2) ये अच्छे अंक और अच्छी ग्रेड से परीक्षा में सफल हो सकें।
(3) वे वह ज्ञान प्राप्त कर सकें जो उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था।
(4) वे देश के उपयोगी नागरिक बन सकें (4)

4. **शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था?**
(1) क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थीं?
(2) बालकों को दिये गये मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलबध कराने हेतु
(3) बालकों की शिक्षा को संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिये
(4) क्योंकि राज्य के लिये नीति निर्देशन तत्व निर्देश ये उन्हें लागु नहीं किया जा सकता था (2)

5. **निम्न में से कौन–सा स्तर अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है?**
(1) शाला स्तर (2) राष्ट्रीय स्तर
(3) राज्य स्तर (4) जिला स्तर (1)

6. **निम्न युग्मों (जोड़ों) में से कौन–सा एक मेल नहीं खाता है?**
(1) ई. गवर्नन्स : भागीदारी (2) ई. गवर्नमेन्ट : प्रक्रिया
(3) ई. गवर्नन्स : परिणाम (4) ई. गवर्नमेन्ट : निर्णय (2)

7. **निम्न में से कौन–सा एक क्रम, श्रोत की दृष्टि से सही है ? कृपया code (कोड) का प्रयोग करें :** code :
(i) ई. मित्रा
(ii) आई. सी. टी.
(iii) ई. गवर्नमेन्ट
(iv) ई. गवर्नन्स
(1) (iv) (ii) (iii) (i) (2) (ii) (iii) (iv) (i)
(3) (iii) (ii) (i) (iv) (4) (iv) (ii) (i) (iii)
(2)

8. **निम्न में से कौन–से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमीकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है ?**
(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
(2) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(3) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं कार्यक्रम परिषद (NCERT)
(4) अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (C.T.E.) (1)

9. **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लडकें तथा लडकियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है ?**
(1) लिंग तथा आर्थिक भेद को
(2) लिंग तथा सामाजिक भेद को
(3) परिवार तथा स्तर के भेद को
(4) आर्थिक तथा सामाजिक भेद को (2)

10. **निम्न में से कौन–से स्तर हेतु राजस्थान राज्य पुस्तक बोर्ड विद्यालयी पुस्तकों के उन्नयन हेतु अनुसंधान का कार्य करती है?**
(1) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर
(2) प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर
(3) माध्यमिक स्तर
(4) उच्च माध्यमिक स्तर (डिलीट)